बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांक :– Acctts/223/2025-26/ 181 दिनांक :– 8 /01/2026

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिले।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत जिला, BRC, CRC, KGBV, NJSCB एवं VSS/SMDC को निर्धारित की गई Drawing Limit के विरूद्ध व्यय संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि समग्र शिक्षा अन्तर्गत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों यथा समग्र विद्यालय अनुदान (Composite School Grant), राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत Formation of Science Club/Maths Club, Science Exhibition & Quiz Competition, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, BRC Grant अंतर्गत Maintenance Grant, TLE/TLM Grant, Meeting T.A एवं Contingency Grant, CRC Grant अंतर्गत Maintenance Grant, TLM Grant, Meeting TA एवं Contingency Grant, Twinning of School, KGBV एवं NJSCB को आवर्ती/अनावर्ती मद् हेतु संबंधित Child Agency यथा BRC, CRC, KGBV, NJSCB, VSS/SMDC को Drawing Limit का निर्धारण किया जा चुका है। साथ ही जिला स्तरीय कार्यालयों को भी MMER मद् एवं अन्य गतिविधियों मद में Drawing Limit का निर्धारण किया जा चुका है।

अंकनीय है कि दिनांक 31.12.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) के साथ VC के माध्यम से की गई बैठक में यह संज्ञान में आया कि निर्धारित की गई Drawing Limit के विरूद्व अभी तक जिला कार्यालय, BRC, CRC, KGBV, NJSCB, VSS/SMDC द्वारा किये गये व्यय का औसत प्रतिशत 43.18 है (शिक्षक वेतन को छोड़कर) जो चिंताजनक है **(<u>अनुलग्नक-I संलग्न</u>)**।

ज्ञातव्य हो कि वित्तीय वर्ष समाप्ति को केवल तीन माह शेष है एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से तृतीय एवं चतुर्थ किस्त की राशि प्राप्त किया जाना है, ऐसे में व्यय इकाई के द्वारा व्यय नहीं करने की स्थिति में अव्ययित राशि SNA खाते में परिलक्षित होता है, जिसे भारत सरकार उपलब्ध राशि मानती है एवं केन्द्रांश विमुक्ति पर 75% व्यय होने तक रोक लगा सकती है, जिसका प्रभाव समग्र योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों पर पड़ेगा। अतः ससमय नियमानुसार राशि का सदुपयोग कराने का निर्देश दिया गया।

<u>व्यय ईकाई (Child Agency) को निर्धारित किये गये Drawing Limit के व्यय के संबंध राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र/मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निम्नवत् है, जिसका अनुपालन किया जाना है:-</u>

- **Composite Grant :-** Composite Grant मद् में 68,426 प्राथमिक विद्यालय तथा 6,476 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कुल राशि 372.04 करोड़ का Drawing Limit निर्धारित किया गया है, जिसके व्यय हेतु राज्य कार्यालय के पत्रांक CWM/ Composite Grant/ 2018-19/12/256, दिनांक 10.01.2019, पत्रांक CWM/Composite Grant/2018-19/12/3112, दिनांक 30.06.2020, पत्रांक 3793, दिनांक 05.07.2022, पत्रांक 637, दिनांक 02.02.2025 एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक-192/गो० दिनांक 20.07.2023 (उक्त सभी पत्र की छायाप्रति संलग्न) के आलोक में अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

- **KGBV** :– अनावर्ती एवं आवर्ती मद् में कुल 647 के०जी०बी०भी० को कुल राशि 197.70 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु निर्गत दिशा–निर्देश ज्ञापांक KGBV/52/2019-20/2725, दिनांक 20.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
- **नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय उत्क्रमित छात्रावास** :– अनावर्ती एवं आवर्ती मद् में 15 NJSCB को कुल राशि 6.75 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु निर्गत पत्र AIE/08/2018-19/4897 दिनांक 22.07.2023, Acctts/201/2025-26/2280, दिनांक 26.05.2025 एवं A&ST/49/2025-26/2498, दिनांक 09.06.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **CRC Grant :–** CRC Grant अंतर्गत कुल 8774 CRC को 04 गतिविधियों के लिए कुल राशि 37.73 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु निर्गत पत्रांक E-374127/Quality/92 /2025-26/4375, दिनांक 12.09.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **BRC Grant :–** BRC Grant अंतर्गत कुल 537 BRC को 04 गतिविधियों के लिए कुल राशि 11.85 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु निर्गत पत्रांक पत्रांक E-330265/ Quality/64/2025-26/2720, दिनांक 26.06.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **Twinning of School :–** इस कार्यक्रम अंतर्गत सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को रूपये 10,000/- प्रति विद्यालय की दर से कुल 6470 विद्यालय को कुल राशि 6.47 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु पत्रांक E-33337/Quality/344/2025/4078, दिनांक 01.09.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **राष्ट्रीय अविष्कार अभियान** :– राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत 38 जिलों, 537 प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों एवं 6470 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि 5.26 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु कार्यालय पत्रांक Acctts/201/2025-26/5603, दिनांक 02.12.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत** :– एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधि अंतर्गत कुल 538 BRC को कुल राशि 26.85 लाख रूपये का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु कार्यालय पत्रांक E-337010/Quality/Kala Utsav/2023/4555, दिनांक 22.09.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **Youth & ECO Club** :– इस कार्यक्रम अंतर्गत कुल 72119 विद्यालय को कुल राशि 61.77 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु पत्रांक Acctts/201/2025-26/4520 दिनांक 22.09.2025 पत्रांक 1724 दिनांक 12.04.2025 एवं Quality/319/2025-26/1815 दिनांक 23.04.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **IE- Sparsh :–** इस कार्यक्रम अंतर्गत कुल 38 जिलों के 38 विद्यालयों को कुल राशि 1.42 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके व्यय हेतु पत्रांक Acctts/201/2025-26/2882 दिनांक 01.07.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **Equity – Adolescent Programme for Girls :–** इस कार्यक्रम अंतर्गत कुल 38 जिलों के 6416 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि 4.49 करोड़ का Drawing Limit के निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके व्यय हेतु पत्रांक Equity/93/2025-26/5998 दिनांक 30.12.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरूद्व व्यय का ससमय नियमानुसार सदुपयोग करने के संबंध में राज्य स्तर से जिला स्तर एवं जिला स्तर से BRC, CRC, KGBV, NJSCB, VSS/SMDC पर किये जाने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operation Procedure) निम्नवत् है :–

1. राज्य स्तरीय कार्यालय पर किये जाने वाले कार्य :–

    i. सभी संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय अपने–अपने संभाग अंतर्गत निर्धारित कराये गये Drawing Limit का अनुमोदित बजट के प्रावधानित गतिविधि के अनुरूप ससमय नियमानुसार व्यय कराने हेतु जिला के संभाग प्रभारी के साथ समीक्षा करेंगे।
    ii. संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरूद्ध व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय का जिलावार, मद्वार अद्यतन प्रतिवेदन राज्य कार्यालय के लेखा शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
    iii. संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा व्यय इकाई के द्वारा किये गये व्यय की प्रविष्टि जिलावार, मद्वार जिलों के माध्यम से PRABANDH पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
    iv. असैनिक कार्य प्रबंधक (CWM) का दायित्व होगा कि असैनिक निर्माण कार्य हेतु BSEIDC को समग्र शिक्षा के अनुमोदित बजट के विरूद्ध दी गई अग्रिम राशि के व्यय उपरान्त BSEIDC से मद्वार, जिलावार सूची सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त कर समायोजन एवं जिला को डेबिट नोट निर्गत करने हेतु लेखा शाखा को संचिका उपलब्ध करायेंगे। साथ ही निर्गत डेबिट नोट की प्रविष्टि जिला के माध्यम से प्रबंध पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
    v. राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा SCERT/DIET को निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरूद्ध किये गये व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं अग्रिम समायोजन हेतु आदेश प्राप्त कर लेखा शाखा को उपलब्ध करायेंगे, साथ ही PRABANDH पोर्टल पर जिलों के माध्यम से जिलावार, मद्वार प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. **जिला स्तरीय कार्यालय पर किये जाने वाले कार्य :–**

    i. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरूद्ध व्यय का अनुश्रवण करेंगे एवं नियमानुसार व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे।
    ii. जिला स्तरीय कार्यालय के लिए प्राप्त Drawing Limit को अनुमोदित बजट में प्रावधानित गतिविधि में ही व्यय किया जाय। साथ ही समय–समय पर राज्य कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र/मार्गदर्शन के आलोक में नियमानुसार व्यय किया जाय।
    iii. Child Agency यथा BRC, CRC, NJSCB, KGBV एवं VSS/SMDC हेतु PFMS पोर्टल पर जिला को प्राप्त Drawing Limit का दो दिनों के अंदर Child Agency को निर्धारित कराना सुनिश्चित करेंगे।
    iv. व्यय इकाई (Child Agency) को Drawing Limit निर्धारित करने हेतु संबंधित संभाग प्रभारी सक्षम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् Drawing Limit के निर्धारण हेतु संचिका जिला के लेखा शाखा को उपलब्ध करायेंगे।
    v. संबंधित व्यय इकाई को Drawing Limit के विरूद्ध नियमानुसार ससमय व्यय करने हेतु राज्य कार्यालय से प्राप्त पत्र/दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन के आलोक में जिला द्वारा पत्र/मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश निर्गत किया जाय।

vi. जिला कार्यालय ऐसी व्यवस्था विकसित करे कि व्यय इकाई को ससमय प्राप्त राशि का मद् एवं व्यय किये जाने संबंधी निर्गत पत्र/दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

vii. जिला कार्यालय व्यय इकाई को निर्धारित की गई Drawing Limit का मद्वार, विद्यालयवार, प्रखंडवार Google Sheet तैयार कर प्रखण्ड कार्यालय के साथ साझा करेंगे एवं जिला कार्यालय प्रतिदिन व्यय का मद्वार, इकाईवार, प्रखंडवार अद्यतन प्रतिवेदन को PFMS पोर्टल से डाउनलोड कर Google Sheet को अद्यतन करेंगे।

viii. विहित प्रपत्र में सभी व्यय इकाई से व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त की जाय।

ix. जिला कार्यालय, जिला सहित व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय की मद्वार प्रविष्टि जिला कार्यालय सहित माह की समाप्ति के उपरांत PRABANDH पोर्टल पर करने हेतु संबंधित को निर्देश देंगे (पत्रांक MIS/SS/109/2025-26/104 दिनांक 06.01.2026 छाया प्रति संलग्न)।

x. संतोषजनक व्यय नहीं करने वाले व्यय इकाईयों को चिन्हित करते हुए यदि उन्हें PFMS E-Payment Advice बनाने में कठिनाई हो रही हो तो प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है अथवा संबंधित प्रखण्ड से अनुसमर्थन प्राप्त किया जा सकता है।

xi. शिक्षक वेतन मद् में DPO-Establishment को दी गई राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर समायोजन कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. <u>प्रखण्ड स्तर पर किये जाने वाले कार्य :–</u>

i. जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरूद्ध व्यय का अनुश्रवण करेंगे एवं नियमानुसार व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे।

ii. विहित प्रपत्र में सभी व्यय इकाई से व्यय उपरान्त व्यय विवरणी प्राप्त की जाय।

iii. सभी व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय की विवरणी प्राप्त कर प्रतिदिन मद्वार मिलान करते हुए जिला द्वारा साझा किये गये Google Sheet में मद्वार इकाईवार व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

iv. व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय से संबंधित दो प्रति में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कराने में व्यय इकाई को सहयोग करेंगे। साथ ही राज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये लेखा संधारण से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में लेखा पुस्तिका का संधारण कराना सुनिश्चित करेंगे।

v. PPA तैयार करने में प्रखंड के लेखापाल/KGBV के लेखापाल आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विद्यालय को PFMS पोर्टल पर PPA (Advice) तैयार कराने में सहयोग प्रदान करेंगे।

4. <u>व्यय इकाई द्वारा किये जाने वाले कार्य :–</u>

i. प्राप्त Drawing Limit के विरूद्ध राज्य कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में व्यय करना एवं लेखा पुस्तिका का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ii. PFMS पोर्टल के माध्यम से E-PPA (Advice) निर्गत करने में यदि कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित BRC के लेखापाल/KGBV के लेखापाल से सहयोग प्राप्त करेंगे।

iii. Drawing Limit के विरूद्ध किये गये व्यय के संबंध में मद्वार व्यय विवरणी विहित प्रपत्र में प्रखण्ड कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

iv. किये गये व्यय के विरूद्ध दो प्रति में मद्वार उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार करेंगे एवं एक प्रति जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे और एक–एक प्रति अपने पास भविष्य में होने वाले अंकेक्षण इत्यादि कार्य हेतु सुरक्षित रखेंगे।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

अतः निदेश दिया जाता है कि विभिन्न व्यय इकाई को निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरूद्ध नियमानुसार किसी भी स्तर पर निर्धारित किये गये Drawing Limit से अधिक न तो व्यय किया जाय न ही एक मद् में उपलब्ध राशि का विचलन अन्य मद् में व्यय हेतु किया जाय। ससमय व्यय नहीं होने की स्थिति में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर नियम संगत कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित की जाय।

विश्वासभाजन

(सुधीर कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : Acctts/ 181
दिनांक : 8 /01/2026

प्रतिलिपिः—

1. प्रशासी पदाधिकारी/सभी संभाग प्रभारी/असैनिक कार्य प्रबंधक (प्रभारी) राज्य स्तरीय कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), बिहार शिक्षा परियोजना, सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, सभी जिले, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

अनु०-I

EXPENDITURE AGAINST DRAWING LIMIT ALL COMPONENT EXCEPT TEACHER SALARY

As on 30.12.2025

Rs in Lakh

SL. No.	District Name	Drawing Limit	Expenditure	Balance	% of Exp.
1	2	3	4	5	6
1	Buxer	1878.96	501.76	1377.20	26.70
2	Nalanda	3051.77	893.64	2158.12	29.28
3	Muzaffarpur	3729.52	1242.90	2486.62	33.33
4	Kishanganj	1835.81	627.04	1208.77	34.16
5	Madhubani	3462.12	1186.84	2275.29	34.28
6	Saharsha	1930.09	675.51	1254.58	35.00
7	Madhepura	2303.89	836.27	1467.62	36.30
8	Kaimur	1852.13	680.15	1171.98	36.72
9	Munger	1685.63	623.98	1061.65	37.02
10	Lakhisarai	1216.54	451.84	764.70	37.14
11	Supaul	2287.98	861.63	1426.35	37.66
12	Gopalganj	2294.85	871.18	1423.67	37.96
13	Saran	3336.58	1272.33	2064.25	38.13
14	Gaya	4255.04	1630.14	2624.90	38.31
15	Sheohar	951.29	375.76	575.53	39.50
16	Siwan	2647.59	1052.63	1594.96	39.76
17	Patna	3981.97	1588.31	2393.67	39.89
18	Banka	2510.64	1003.26	1507.38	39.96
19	Jehanabad	1461.11	594.75	866.36	40.71
20	Samastipur	3445.64	1413.69	2031.95	41.03
21	Aurangabad	2450.50	1025.93	1424.57	41.87
22	Bhagalpur	2962.80	1243.38	1719.42	41.97
23	Arwal	1082.00	469.19	612.81	43.36
24	Sheikhpura	1207.51	528.51	679.00	43.77
25	Sitamarhi	2962.36	1358.25	1604.11	45.85
26	Katihar	2829.46	1326.61	1502.85	46.89
27	Araria	2268.16	1076.19	1191.97	47.45
28	Bhojpur	2499.28	1208.97	1290.31	48.37
29	Vaishali	2853.57	1397.99	1455.58	48.99
30	Begusarai	2471.55	1216.81	1254.73	49.23
31	Nawada	2463.45	1229.92	1233.53	49.93
32	Purnea	2836.53	1419.70	1416.83	50.05
33	E. Champaran	4211.03	2120.60	2090.43	50.36
34	W Champaran	3437.49	1774.98	1662.51	51.64
35	Jamui	2208.36	1152.06	1056.30	52.17
36	Darbhanga	3086.65	1655.77	1430.88	53.64
37	Khagaria	1697.47	987.41	710.06	58.17
38	Rohtas	2746.14	2049.37	696.77	74.63
	Total	**96393.45**	**41625.25**	**54768.21**	**43.18**

Jitendra 05/01/2026

05/01/2026.

05/01/26

पत्रांकः— 192/1550

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

के0के0 पाठक,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक,
प्रारंभिक / मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बिहार।

पटना, दिनांक— 20.7.23

विषय :— **वित्तीय प्रबंधन के रख—रखाव संबंधी आवश्यक दिशा—निर्देश (Guideline) प्रेषित करने के संबंध में।**

महाशय,

इस पत्र के साथ एक विस्तृत दिशा—निर्देश आपके लिए संलग्न किया जा रहा है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि प्रधानाध्यापक के रूप में आपको विद्यालय के प्रबंधन / संचालन में क्या—क्या गतिविधियां करनी है, आपकी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां क्या हैं और उन वित्तीय / प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा—निर्देश को भली—भांति समझ लें और किसी प्रकार की शंका होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

अनुलग्नकः—दिशा—निर्देश।

विश्वासभाजन,

(के0के0 पाठक)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक— 192/1550
पटना, दिनांक— 20.7.23

प्रतिलिपिः—सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कृपया दिनांक 24.07.2023 से होने वाली संध्याकालीन विडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानाध्यापक से इस दिशा—निर्देश पर चर्चा करें और इस दिशा—निर्देश के बारे में यदि उनको कोई शंका को तो उसे दूर करें।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 192/1550
पटना, दिनांक— 20.7.23

प्रतिलिपिः—श्री सज्जन आर., निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. कृपया प्रधानाध्यापकों / शिक्षकों को जो प्रशिक्षण बिपार्ड अथवा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में करा रहे हैं उसमें एक कक्षा केवल इस दिशा—निर्देश को समझने के लिए रखे जाएं और अनिवार्यतः इस दिशा—निर्देश में एक कक्षा में चर्चा होनी चाहिए, जिसमें दिशा—निर्देश के सभी पहलूओं को उन्हें समझाया जाए। इस दिशा—निर्देश को केवल प्रधानाध्यापक ही नहीं, अपितु शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी पढ़ाया जाय। कोई शंका होने पर श्री रवि शंकर, अपर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (मो0—8544412161) से सम्पर्क किया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

F:\Anupam Raj\Letter

ज्ञापांक—192/ अ०   पटना, दिनांक—20.07.2023

प्रतिलिपिः— अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया/अपर महानिदेशक, बिपार्ड, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान यह दिशानिर्देश समझा दिया जाय। कोई शंका होने पर श्री रवि शंकर, अपर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (मो0—8544412161) से सम्पर्क किया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:\Anupam Raj\Letter

191/ [illegible]
20.7.2023

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी, प्रधानाध्यापकों के लिए वित्तीय खातों का रख–रखाव संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश (Guidelines)।

जब भी आप विद्यालय का प्रभार लें तो सबसे पहले आपका दायित्व यह होना चाहिए कि आप देख लें कि उक्त विद्यालय में कितने प्रकार के बैंक खाते खुले हुए हैं। इनमें कितनी राशि रखी हुई है और उस राशि से आप क्या काम कर सकते हैं।

1) यदि आप प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो सामान्यतः आपके विद्यालय में निम्न प्रकार के 03 खाते होंगे:–

(i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।

(ii) मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता।

(iii) बिहार सरकार का बैंक खाता।

नोटः–यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

2) यदि आप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो आपके विद्यालय में निम्न प्रकार से 04 खाते हो सकते हैं:–

(i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।

(ii) बिहार सरकार का बैंक खाता।

(iii) विकास कोष हेतु बैंक खाता।

(iv) छात्र कोष हेतु बैंक खाता।

नोटः–यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

3) किस खाते का संचालन किस प्रकार करना है और उस खाते की राशि से किस प्रकार का कार्य कराया जाना है, का विवरण इस तालिका में दिया हुआ है।

क्र0	खाता का नाम	खाते में उपलब्ध राशि से क्या–क्या कार्य कराया जा सकता है।	खाते का संचालन किस प्रकार करना है।
1	2	3	4
1	समग्र शिक्षा का बैंक खाता	यह खाता दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में यथा:–प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय में होता है। इस खाते में 3 मुख्य मद होते हैं:– **(क) समग्र विद्यालय अनुदान** :– इसे Composite Grant के नाम से भी जाना जाता है। इस मद में अधिकतम राशि 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये की आती है। चूँकि राशि कम है, अतः इसे बहुत सावधानी से खर्च करना होता है। इस मद से आप कोई बडा निर्माण कार्य अथवा विद्यालय भवन की रंगाई–पुताई आदि नहीं करा पायेंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मद से केवल आप स्कूल के पठन–पाठन की सामग्री यथा–चॉक,	इस खाते को Single Nodal Account (समग्र शिक्षा) कहा जाता है [SNA-समग्र शिक्षा]। इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी और जिस भी व्यक्ति को आपको भुगतान करना है, उसके लिए तय राशि का

		बल्व, पंखा, डस्टर इत्यादि का भुगतान करें। साथ ही, शौचालय की सफाई प्रतिदिन कराने हेतु स्वीपर का भुगतान भी इस राशि से किया जाए। **(ख) इस खाते का दूसरा अंश निर्माण कार्य है:–** इसमें आप भवन के निर्माण, भवन की मरम्मति, शौचालय निर्माण, शौचालय की मरम्मति, पेयजल, नल–जल की व्यवस्था अथवा नये चापाकल लगवाने अथवा इसके मरम्मति इत्यादि का काम करा सकते हैं। **(ग) विविध कार्य:–** उपरोक्त दोनों गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियां विद्यालय में होती हैं, जिसमें खेल–कूद, वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएँ एवं ऐसी रोचक गतिविधियाँ आप कर सकते हैं, जिससे छात्रों की रूचि तो बनी ही रहे, साथ ही उन्हें कुछ अच्छी बात सीखने को मिले। इन गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।	Print Payment Advice (PPA) आपको बनाना होगा। अतः स्वाभाविक है कि इसके लिए आपके विद्यालय में कंप्यूटर/प्रिंटर होना आवश्यक है। यदि आप इस वित्तीय प्रणाली को स्वयं नहीं चला सकते हैं तो आपको एक कंप्यूटर जानकार को भी रखना पड़ सकता है। विभाग प्रयास में है कि प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर/प्रिंटर और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान किया जाए। जब तक ये सुविधाएँ नहीं उपलब्ध होती हैं, तब तक आप नजदीक के इंटरनेट कैफे में जाकर PPA बनवा सकते हैं या Block Resource Center (BRC) में जाकर ये PPA बनवा सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय हेतु इंटरनेट कैफे में जाने पर इस पर होने वाले व्यय का भुगतान आप इसी खाते के Composite Grant अंश से कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय इस खर्च का वहन विकास कोष/छात्र कोष से कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के लिए इस खाते में 'मेकर' प्रधानाध्यापक होते हैं एवं 'चेकर/एप्रूवर' समिति के

			सचिव होते हैं। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए इस खाते के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा नामित शिक्षक 'मेकर' होते हैं एवं 'चेकर/एप्रूवर' प्रधानाध्यापक स्वयं होते हैं। **<u>संयुक्त हस्ताक्षर प्रणाली</u>** प्रारंभिक विद्यालय के मामले में PPA पर हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव करेंगे। माध्यमिक विद्यालय में PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के कोई एक शिक्षक, जिसे प्रधानाध्यापक प्राधिकृत करें।
2	**मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता**	यह खाता कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय में ही होता है। इस खाता में उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जानी है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आपको वर्ग 1 से 5 के लिए अधिकतम रुपये 5.45 (पाँच रुपये पैंतालीस पैसे), तथा वर्ग 6 से 8 के लिए अधिकतम रुपये 8.17 (आठ रुपये सतरह पैसे) प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से खर्च करना है। उदाहरण स्वरूप यदि प्रारंभिक विद्यालय में किसी तिथि को 67 छात्र उपस्थित हुए हैं तो उस तिथि को भोजन हेतु खर्च की इस प्रकार गणना करें:– **छात्र की संख्या X प्रति बच्चा दर = व्यय होने वाली राशि** **67 X रुपये 5.45 = रुपये 365.15** अर्थात, उस दिन मध्याह्न भोजन का कुल खर्च रु0 365.15 हुआ। पूरे महीने की गणना इसी प्रकार करें और तद्नुसार vendor को भुगतान करें।	इस खाते का संचालन भी समग्र शिक्षा खाते के अनुसार ही होता है। इस खाते को Single Nodal Account (मध्याह्न भोजन योजना) कहा जाता है [SNA-मध्याह्न भोजन योजना]। वर्त्तमान में इस खाते हेतु 'मेकर' प्रधानाध्यापक एवं 'चेकर/एप्रूवर' मध्याह्न भोजन योजना के प्रखंड साधन सेवी (BRP) होते हैं किन्तु अब समरूपता लाने के उद्देश्य से 'मेकर'

			प्रधानाध्यापक रहेंगे तथा 'चेकर/एप्रूवर' समिति के सचिव होंगे। इस खाते के संचालन हेतु आप Block Resource Center (BRC) में जायें या नजदीक के इंटरनेट कैफे से सम्पर्क करें। किसी भी हालत में मध्याह्न भोजन योजना के PPA पर हस्ताक्षर करने से पहले आप बाएं तरफ में दी हुई गणना के अनुसार देख लें कि जितने छात्रों ने खाना खाया हैं, PPA भी उतने ही छात्रों के लिए बनाया गया है। यह खाता भी समग्र शिक्षा की भाँति संचालित होगा और PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं सचिव का होगा।
3	**बिहार सरकार का बैंक खाता**	यह खाता प्रारंभिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय, दोनों में होता है। इस खाते में कभी–कभी ही राशि भेजी जाती है। प्रायः यह खाता निष्क्रिय रहता है। किन्तु इसे बंद करना उचित नहीं होगा। इससे राशि खर्च करने हेतु विभाग से समय–समय पर दिशानिर्देश अलग से दिया जायेगा।	इस खाते का संचालन पराम्परागत तरीके से किया जायेगा अथवा Bank Advice के माध्यम से किया जाता है। इसके संचालन में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी संयुक्त हस्ताक्षर होगा। प्रारंभिक विद्यालय के मामले में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं सचिव का होगा। माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं किसी एक शिक्षक का होगा।
4	**विकास कोष का बैंक खाता**	विकास कोष माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12 तक) में होता है। इस खाते से आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:–	इस खाते का संचालन भी परम्परागत तरीके से चेक बुक अथवा Bank

		(क) भवन का रख–रखाव इत्यादि। विद्यालय भवन का रख–रखाव, रंग–रोगन, शौचालय का निर्माण, शौचालय का मरम्मति, शौचालय का रख–रखाव, पेयजल की सुविधा, बागवानी इत्यादि पर आप ये राशि खर्च कर सकते हैं। रुपये 5 (पाँच) लाख तक की राशि की कोई योजना लेने हेतु आप स्वयं सक्षम होंगे (चाहे छात्रों का नामांकन कितना भी हो)। जब आप उपरोक्त संबंधी कोई काम करना चाहेंगे तो सबसे पहले इसका Estimate बनाना होगा ताकि ये पता चल सके कि उपरोक्त कार्य कराने के लिए कुल कितनी राशि लगेगी। आप Estimate बनाने का काम BEP के कनीय अभियंता से करा सकते हैं। इस Estimate का तकनीकी अनुमोदन BEP के सहायक अभियंता द्वारा दिया जायेगा। Estimate बनने के समय आप कनीय अभियंता को अनुरोध करें कि वे उतनी राशि का ही Estimate बनायें जितनी राशि आपके विकास कोष (एवं छात्र कोष) में उपलब्ध है। **<u>Estimate बन जाने के बाद की प्रक्रियाः</u>**–यदि Estimate 5 लाख रुपये तक का है तो कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति आप स्वयं दे सकते हैं। यह कार्य किस एजेंसी से किया जाना है, वह भी आप, स्वयं तय कर सकते हैं। आप चाहें तो यह काम BEP के माध्यम से भी करा सकते हैं। यदि Estimate 5 लाख रुपये से अधिक का है तो आपको इसका अनुमोदन विद्यालय प्रबंधन समिति से लेना होगा। इस हेतु आप पत्र द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु अध्यक्ष से अनुरोध करें। यदि 15 दिन में बैठक आयोजित होकर उक्त योजना का अनुमोदन नहीं मिलता है तो आप ऐसी स्थिति में इस योजना का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से सीधे ले सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर इस योजना को BEP अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा निगम से कराने हेतु अनुमोदन प्रदान करेंगे। **(ख)** विद्यालय के संचालन हेतु अन्य कार्यालय सामग्री, फर्नीचर, पंखा, बल्व, स्टेशनरी, अखबार, मैगजीन इत्यादि इस मद से क्रय किया जा सकता है। **(ग)** यदि आपके विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कम्प्यूटर के शिक्षकों का अभाव है तो आप उन शिक्षकों को विभाग द्वारा तय मानदेय पर रखकर अध्यापन कार्य करा सकते हैं और उनका मानदेय का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। **(घ)** स्वीपर, रात्रि प्रहरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर का किराया, आधार मशीन का किराया, VC equipment का किराया इत्यादि का भुगतान आप विभाग द्वारा तय दर पर कर सकते हैं। **(ङ)** IT उपस्कर तथा आधार मशीन एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु	Advice से किया जायेगा। चेक संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा। एक हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्रधानाध्यापक का होगा और दूसरा किसी भी अन्य शिक्षक का होगा, जिसे प्रधानाध्यापक प्राधिकृत करें।

		एक या दो कम्प्यूटर ऑपरेटर भी इस कोष से रख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर आप बेल्ट्रॉन के दर पर अथवा विभाग द्वारा तय दर (दोनों में से जो कम हो) पर रख सकते हैं। **(च)** इसके अतिरिक्त आप इस मद से अन्य किसी भी प्रकार का व्यय कर सकते हैं, जो स्कूल के संचालन में सहायता करे। जैसे, उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त आप स्कूल में जेनरेटर की भी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि विशेष आयोजन हो अथवा छात्रों की संख्या ज्यादा हो और कमरों की कमी हो तो आप टेंट, दरी, जेनरेटर आदि खरीद कर अथवा किराए पर लेकर यह व्यवस्था कर सकते हैं।	
5	छात्र कोष का बैंक खाता	आप इस कोष में वह सारे कार्य कर सकते हैं, जो विकास कोष से किया जा सकता है। आप किसी योजना की परिकल्पना विकास कोष एवं छात्र कोष में जमा राशि को मिलाकर भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विकास कोष में 3 लाख रुपये हैं और छात्र कोष में 2 लाख रुपये हैं तो आप दोनों राशि को मिलाकर 5 लाख रुपये की कोई समेकित योजना अथवा मासिक भुगतान करने का काम कर सकते हैं।	–तथैव–

4) उपरोक्त तालिका एवं दिशानिर्देश के पीछे उद्देश्य यह है कि आपके विद्यालय में जो भी राशि पड़ी है, उसका इस्तेमाल हो। विकास कोष/छात्र कोष में लाखों रुपये जमा है, किन्तु कक्षाओं में बिजली का बल्व तक नहीं है। अतः स्पष्टतः यह प्रधानाध्यापक के स्तर पर निर्णय नहीं लेने की प्रवृत्ति का द्योतक है। आप प्रधानाध्यापकों से आशा की जाती है कि उक्त राशि का व्यय स्कूल के सफल संचालन में करेंगे। ऐसी स्थिति में आप पूछ सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में यह तो अंकित कर दिया गया है कि किस खाते की राशि से क्या काम करना है, किन्तु उसकी प्रक्रिया नहीं दी गयी है, तो इस आशंका का समाधान भी इस प्रकार किया जाता है।

5) <u>सामग्री क्रय करना अथवा सिविल वर्क हेतु प्रक्रिया:–</u>

(क) यदि आप कोई सामग्री यथा–स्टेशनरी, कंप्यूटर, जेनरेटर या कोई भी कार्यालय उपस्कर खरीदना चाहते हैं तो रु0 50 हजार तक की सामग्री आप तुरंत "off the shelf" तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी दुकान में जाएं और रु0 50 हजार तक के सामान का क्रय कर लें। किन्तु इसकी Invoice/रसीद जरूर ले लें।

(ख) रु0 50 हजार से लेकर रु0 5 लाख तक की सामग्री/व्यय आप 3 कोटेशन प्राप्त करके कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको कोई बड़ा सामान खरीदना है तो आप बाजार में सर्वेक्षण कर 3 कोटेशन प्राप्त करें एवं जिसका सबसे कम दर है, उस दर पर उक्त सामान को खरीद सकते हैं। इस क्रय की भी Invoice/रसीद अवश्य रखें।

(ग) आप विद्यालय में छोटे–मोटे Civil कार्यों के लिए भी यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। यानी कि आपके विद्यालय में कोई Civil कार्य (निर्माण कार्य) या पोचारा कराना है या किसी कमरे/शौचालय का काम कराना चाहते हैं और यदि वह खर्च रु0 5 लाख से कम का है तो आप BEP के कनीय अभियंता से Estimate बनवाकर कम–से–कम किन्हीं 3 संवेदकों से कोटेशन लेकर कम दर अंकित करने वाले संवेदक से भी कार्य करा सकते हैं। इसके लिए आपको विद्यालय प्रबंध समिति के अनुनति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सक्षम हैं।

रुपये 5 लाख से अधिक का यदि कोई कार्य है तो उसे आप विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष रखेंगे। यदि 15 दिनों के भीतर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो आप सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसका प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। रु0 5 लाख से अधिक काम कराने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करें, जो जिला पदाधिकारी से परामर्श कर तय करेंगे कि काम किस एजेंसी से कराना है।

6) Feeder Area में पड़ने वाले प्राथमिक/मध्य विद्यालयों की देख–भाल:–

यह भी देखा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में तो विकास कोष/छात्र कोष में पर्याप्त राशि रहती है, किन्तु प्रारंभिक विद्यालयों में इस तरह की न तो कोई राशि होती है न ही इस तरह की कोई व्यवस्था। अतः उपरोक्त काम यदि प्रारंभिक विद्यालय में कराना पड़ जाए तो इसमें यह समस्या आती है कि इसके लिए राशि कहां से आयेगी। इस संबंध में आपको भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का संदर्भ करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की हैसियत से आप अन्य प्रारंभिक (प्राथमिक/मध्य) विद्यालयों में भी छात्र कोष एवं विकास कोष की राशि खर्च कर सकते हैं, जो प्रारंभिक विद्यालय आपके पोषक क्षेत्र (Feeder Area) में पड़ते हैं। Feeder Area, वह प्रारंभिक विद्यालय होते हैं, जहां के बच्चे कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में दाखिला लेते हैं। आपको यदि छात्र कोष/विद्यालय विकास कोष से प्रारंभिक विद्यालय का कोई काम कराना है, तो इस कार्य का अनुमोदन आप विद्यालय प्रबंध समिति से ले लें।

7) उपरोक्त का अध्ययन करने के बाद आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि केवल 2 खाते ही ऐसे हैं यथा:–समग्र शिक्षा का बैंक खाता एवं मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता, जिनके संचालन के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत बनायी गयी है। अतः आपको इसे समझना होगा और स्वयं चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। यदि आप स्वयं नहीं चला सकते हैं तो स्वयं तथा किसी शिक्षक को इंटरनेट कैफे भेजकर इसका संचालन करें। फिर भी बेहतर होगा कि आप SNA खाता स्वयं चलाना सीख लें। किसी भी हालत में इन खातों का संचालन निजी व्यक्ति/वेंडर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इन खातों के संचालन हेतु प्रक्रिया **<u>अनुलग्नक–1</u>** में दी गई है।

8) इस दिशा निर्देश के निर्गत होने के पश्चात् इसससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निदेश/पत्र निरस्त समझे जायेंगे।

(के0के0 पाठक)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 191/ **पटना, दिनांक**– 20-7-2023

प्रतिलिपि:–सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, BEPC/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक, प्रशासन/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, SCERT/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 191/मा पटना, दिनांक— 20-7-2023

प्रतिलिपिः—सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–1

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना के लिए व्यय की प्रक्रिया

1. नया भेन्डर/आपूर्त्तिकर्त्ता/सेवादाता का पंजीकरण करने की विधिः–

Step 1:- कम्प्यूटर/लैपटॉप/मोबाईल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है।

Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Portal https://pfms.nic.in को खोलना होगा।

Step 3:- सर्वप्रथम विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से Login किया जायेगा।

Step 4:- PFMS के Home Page पर Master Section को Click किया जायेगा।

Step 5:- Vendor Tab के अंतर्गत Add New को Click किया जायेगा।

Step 6:- Vendor का नाम, पता, Mobile., Bank Details भरा जायेगा, तत्पश्चात् Vendor Details को Save किया जायेगा। Save करने के पश्चात् Vendor का Creation सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा।

2. भुगतान आदेश तैयार करने की प्रक्रियाः–

क्रय किये जाने वाले सामग्री से संबंधित क्रयादेश तैयार किया जायेगा, जिसमें आपूत्तिकर्त्ता का नाम, बैंक खाता संख्या, IFS Code एवं राशि का उल्लेख एवं आदेश देने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं आदेश संख्या तथा तिथि अंकित किया जायेगा।

3. बैंक एडभाईस तैयार करने की विधिः–

मेकर के द्वारा किये जाने वाला कार्यः–

Step 1:- कम्प्यूटर/लैपटॉप/मोबाईल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है।

Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Portal https://pfms.nic.in को खोलना होगा।

Step 3:- विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से PFMS के Portal https://pfms.nic.in पर जाकर Login किया जायेगा।

Step 4:- Expenditure Section में जाकर Add New को Click किया जायेगा।

Step 5:- Scheme के कॉलम में **समग्र शिक्षा** के व्यय के लिए BR137 Samagra Shiksha 3667 एवं **मध्याह्न भोजन योजना** के लिए BR6-BR PRADHAN MANTRI POSHAN SHAKTI NIRMAN का चयन किया जायेगा।

Step 6:- तत्पश्चात् Vendor को Select करने के उपरान्त भुगतान से संबंधित आदेश एवं राशि को संगत (संबंधित) कॉलम में क्रयादेश संख्या एवं तिथि भरा जायेगा।

Step 7 :- इसके उपरांत PFMS Portal से उस बजट योजना के तहत् यथा **समग्र शिक्षा** एवं **मध्याह्न भोजन योजना** के बजटीय शीर्ष/गतिविधि/मद् का चयन करेंगे, उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा हेतु बजटीय शीर्ष/गतिविधि/मद् में राशि व्यय

किया जाना है, तो School Grant, असैनिक कार्य से संबंधित मद् (Toilet, Drinking water, Electrician, ACR, Ramp, Major Repair) इत्यादि। इसी प्रकार **मध्याह्न भोजन योजना** हेतु बजटीय शीर्ष -Cooking Cost/Egg/Seasonal Fruits का चयन किया जायेगा।

Step 8 :- पोर्टल के स्क्रीन पर अंकित Instrument Type में "E-Payment Using Print Advice" Select कर Add बटन को Click किया जायेगा।

Step 9 :- Narration for Passbook अंकित किया जायेगा।

Step 10 :- यदि भुगतान की जाने वाली राशि में से कोई कटौती किया जाना है, तो Deduction कॉलम में दिये गये विकल्प में "Yes" का चयन किया जायेगा अन्यथा "No" का चयन किया जायेगा।

Step 11 :- उपर्युक्त प्रक्रियाओं के पश्चात् Send for Approval बटन को Click कर भुगतान हेतु Approver (Checker) को अग्रसारित किया जायेगा।

4. चेकर/एप्रूवर के द्वारा किये जाने वाला कार्य :—

Step 1 :- विद्यालय के Checker/Approver के द्वारा अपने User ID से PFMS के Portal http://pfms.nic.in पर Login किया जायेगा।

Step 2 :- Login के पश्चात् Checker के द्वारा Expenditure Section में जाकर Send For Approval के लिए भेजे गए Data को खोलकर भुगतान की जाने वाली राशि, बैंक खाता संख्या, बजट मद एवं राशि की उपलब्धता इत्यादि का मिलान करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही Data को Approve किया जायेगा। Data सही नहीं पाये जाने पर Reject बटन को Click किया जायेगा।

Step 3 :- Data Approve करने के पश्चात् Print Payment Advice (PPA) Generate हो जायेगा। तत्पश्चात् Advice को Print किया जायेगा।

Step 4 :- Print किये गए Print Payment Advice (PPA) पर विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के अधिकृत हस्ताक्षरित के द्वारा मोहर के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा, तत्पश्चात् हस्ताक्षरित बैंक एडभाईस को संबंधित बैंक शाखा को निर्धारित समय–सीमा यथा–10 दिनों के अंदर हस्तगत कराया जायेगा। इसके पश्चात् बैंक के द्वारा राशि संबंधित भेन्डर को भुगतान किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचना/निदेशः–प्रधानाध्यापक/सचिव के द्वारा हर हाल में PFMS Portal के Password की गोपनीयता बरकरार रखी जायेगी एवं किसी भी परिस्थिति में Password को किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा। साथ ही इसके दुरूपयोग होने पर जवाबदेही तय कर आवश्यक प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक : KGBV/52/2019-20/ दिनांक : ..../06/2025

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिले।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु दिशानिर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार के द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके तहत राज्य में टाईप वार कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) की वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश संलग्न है।

अनुलग्नक :

1. के•जी•बी•वि• संचालन हेतु दिशानिर्देश।
2. टाईप वार संचालित के•जी•बी•वि• की सूची 390 (I) + 92 (III) +53 (III)+112 (IV)।
3. बेडिंग बदलाव हेतु 35 KGBV की सूची।
4. कक्षा XI-XII के लिए उत्क्रमित होने वाले 25 के•जी•बी•वि• टाईप-III की सूची।

विश्वासभाजन

ह0/–
(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः KGBV/52/2019-20/ दिनांक : ..../06/2025
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी/उप–विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, के•जी•बी•वि• क्रय समिति, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः KGBV/52/2019-20/2725 दिनांक : 20/06/2025
प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA)/लेखा पदाधिकारी/जिला जेन्डर समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/6/25
राज्य परियोजना निदेशक

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु दिशानिर्देश

विद्यालय के बाहर की छीजनग्रस्त बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त सद्प्रयत्नों से "कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय" की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समग्र शिक्षा के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को कक्षा XII तक उत्क्रमित किया जाना है।

वर्तमान में राज्य में स्वीकृत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की संख्या निम्नवत् है :–

के•जी•बी•भी• टाईप	स्वीकृत के•जी•बी•वि• की संख्या	संचालित के•जी•बी•वि• की संख्या	बालिकाओं की संख्या	अभ्युक्ति
KGBV Type- I	390	390	100	कक्षा VI-VIII
KGBV Type- III	25	25	100	कक्षा VI-VIII
	120	120	200	कक्षा VI-XII
KGBV Type- IV	139	112	100	कक्षा IX-XII

सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु इनमें निर्धारित संख्या में मानव बल स्वीकृत है, जिन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 05–सदस्यीय "कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नियोजन समिति" के द्वारा विहित चयन प्रक्रिया से अल्पकालीन अनुबंध पर नियोजित किया जाता है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में स्वीकृत मानव बल की स्थिति निम्नवत् है :–

पदनाम	टाईप–I	टाईप–III	टाईप–IV
वार्डेन–सह–शिक्षिका	1	1	1
विषय शिक्षण हेतु अंशकालिक शिक्षिका	3	6	3
लेखापाल–सह–सहायक	1	1	0 (संबंधित प्रखंड के टाईप–I के लेखापाल कार्य करेंगे)
अनुसेवक	1	2	0
रात्रि प्रहरी	1	2	2 (1 दिन एवं 1 रात्रि हेतु)
मुख्य रसोईया	1	1	1
सहायक रसोईया	2	4	2
कुल	**10**	**17**	**9**

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु प्रत्येक वर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य के प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए वार्षिक बजट एवं कार्ययोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के बजट की स्वीकृति प्राप्त है। स्वीकृत बजट के आलोक में सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु Drawing Limit निर्धारित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश निम्नवत् है :–

1. जिन प्रखंडों में कक्षा IX-XII हेतु के•जी•बी•वि• भवन निर्मित नहीं हैं, ऐसे प्रखंडों की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की अष्टम उतीर्ण बालिकाएँ अपने जिलान्तर्गत अन्य प्रखंड स्थित KGBV Type-III या KGBV Type-IV में कक्षा–IX में नामांकन करवा कर समीपवर्ती संबद्ध उच्च विद्यालय में पठन–पाठन करेंगी।
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में अन्यान्य / प्रकीर्ण तथा छात्रावास रख–रखाव मद में स्वीकृत राशि से निर्धारित क्षमता में क्रमानुसार सिंगल बेड चौकी, पंखा, डायनिंग टेबल, कुर्सी, अलमीरा, इन्वर्टर आदि का क्रय किया जाएगा। सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में सिंगल बेड (न कि डबल बेड) चौकी का ही क्रय किया जाएगा, ताकि बालिकाओं के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे। यदि छात्रावास में अभी भी डबल बेड उपलब्ध है, तो उन्हें अविलम्ब सिंगल बेड में परिवर्तित करवा लिया जाय।
3. जिन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री की राशि से कक्षा–VI से कक्षा–XII तक की दो–दो सेट पाठ्यपुस्तकें नहीं क्रय की जा सकी है, वहाँ उक्त मद से उनका क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।
4. छात्रावास एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु सभी टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में छः CCTV कैमरे स्थापित करने हेतु पूर्व में निदेश दिया जा चुका है। इनमें से एक कैमरा कार्यालय कक्ष में भी स्थापित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार 06 से अधिक CCTV कैमरे का प्रावधान भी किया जा सकता है ताकि पूरा बाहरी परिसर कवर हो सके। सुरक्षा व्यवस्था के सतत् अनुश्रवण की दृष्टि से जिलान्तर्गत सभी के•जी•बी•भी• के सभी सी•सी•टी•वी• कैमरों को Internet networking से जोड़ा जाना है ताकि जिला / राज्य स्तर से भी उनका पर्यवेक्षण किया जा सके।
5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को प्रदत सामान्य एवं ऊनी वस्त्रों के रंग निम्नवत होंगे :–

टाईप I एवं III की बालिकाओं हेतु सेट–01		
कक्षा	**कक्षा–VI एवं IX (टाईप IV छोड़कर)**	
पोशाक	समीज	सलवार एवं दुपट्टा
रंग	सफेद	सफेद
कक्षा	**कक्षा–VII, VIII,X,XI,XII (सिर्फ टाईप III हेतु)**	
पोशाक	समीज	सलवार एवं दुपट्टा
रंग	हल्का पीला पर चेक	गहरा हरा
सेट–02		
कक्षा	**कक्षा–(VI से XII) (टाईप IV छोड़कर)**	
पोशाक	समीज	सलवार एवं दुपट्टा
रंग	मैरून रंग	खाकी रंग

सामान्य वस्त्र में उक्त के साथ दो गंजी, दो जाँघिया, दो रूमाल, बाल में लगाने हेतु दो रबड़ बैंड एवं दो हेयर क्लिप, एक सेट जूता–मोजा, एक सेट हवाई चप्पल एवं एक तौलिया भी देय होगा।

टाईप I एवं III की बालिकाओं हेतु ऊनी वस्त्र (01 सेट)		
कक्षा–VI, IX एवं XII	स्वेटर एवं स्कार्फ	मैरून रंग
कक्षा–VII एवं X	ब्लेजर	मैरून रंग
कक्षा–VIII एवं XI	इनर (उपर–नीचे का) एवं शॉल	Branded Company का
टाईप IV की बालिकाओं हेतु ऊनी वस्त्र		
स्वेटर (हरा रंग) एवं जूता		

6. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया वर्तमान माह में हर हाल में पूरी कर ली जाए।
7. सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में एक Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र उपलब्ध है। यदि इनमें Internet सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सभी के•जी•बी•भी• में Internet सुविधा वाले एक Biometric Attendance System का क्रय करते हुए स्थापना की जानी है, ताकि उन्हें जिला कार्यालय/राज्य कार्यालय से अनुश्रवण हेतु जोड़ा जा सके। Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र में सभी कर्मियों एवं बालिकाओं को प्रातः 08:00 से 09:00 बजे के बीच तथा रात्रि में 09:00 बजे उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। छात्रावास में आवासन नहीं करने वाले कर्मियों यथा–लेखापाल, अनुसेवक, रात्रि प्रहरी एवं अनुदेशिकाएँ छात्रावास में प्रतिदिन दो बार यानी आने एवं जाने के समय अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। बायोमैट्रिक्स अटेन्डेन्स

सिस्टम के आधार पर ही कार्मिकों को वेतन एवं बालिकाओं को छात्रवृति राशि प्रदान की जाएगी। Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र में किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में उसकी तुरंत मरम्मत करवायी जायेगी तथा उसके ठीक होने तक दूसरे Biometric Attendance संयत्र में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। किसी भी स्थिति में रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

8. भारत सरकार के निर्णयानुसार सभी केन्द्रीकृत योजनाओं में SNA एकाउन्ट प्रणाली लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत के•जी•बी•वि• लिए भी कार्यालय के द्वारा समय–समय पर वित्तीय अधिसीमा निर्धारित की जाती है और प्रबंधन के द्वारा व्ययोपरान्त Online booking की जाती है। सभी जिले प्रत्येक माह में सभी के•जी•बी•वि• से निर्धारित प्रपत्र में गतिविधिवार व्यय विवरणी प्राप्त करेंगे जिसमें प्रधानाध्यापक, लेखा कर्मी एवं वार्डेन के हस्ताक्षर एवं मुहर होंगे।

9. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में वित्तीय नॉर्म्स में निम्नवत् होंगे :–

अनावर्ती (Non Recurring) मद					
बिछावन बदलाव (कक्षा VI-XII के लिए)		बिछावन बदलाव मद में के•जी•बी•वि• प्रति वर्ष रू•75000/–व्यय किया जाएगा।	बिछावन बदलाव मद में के•जी•बी•वि• प्रति वर्ष रू•75000/–व्यय किया जाएगा। 25 के•जी•बी•वि• जो कक्षा IX-XII के लिए उत्क्रमित हुई है, उनको फर्नीचर मद में रू•23.917/–लाख प्रति प्राप्त हुआ, जिसकों इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा। साथ ही, 17 वैसे के•जी•बी•वि• टाईप–IV जो इस वर्ष के•जी•बी•वि• टाईप–III के रूप में संचालित होने वाले है, उनका उनको फर्नीचर मद में रू•23. 917/–लाख प्रति प्राप्त हुआ, जिसकों इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा।		बिछावन बदलाव मद में के•जी•बी•वि• प्रति वर्ष रू•75000/–व्यय किया जाएगा।
आवर्ती (Recurring) मद					
गतिविधि		के•जी•बी•वि• टाईप–I	के•जी•बी•वि• टाईप–III (Existing)	के•जी•बी•वि• टाईप–III (New)	के•जी•बी•वि• टाईप–IV
भोजन/आवासन	भोजन	रू• 1,700/–प्रति बालिका प्रति माह	रू• 1,700/–प्रति बालिका प्रति माह	रू• 1,700/–प्रति बालिका प्रति माह	रू• 1,700/–प्रति बालिका प्रति माह
	पोशाक	सामान्य पोशाक–रू• 1,100/–, ऊनी पोशाक–कक्षा VI, स्वेटर+स्कार्फ–रू• 350/– कक्षा VII – ब्लेजर–रू•750/– कक्षा VIII – ईनर+शॉल रू• 1,000/–	सामान्य पोशाक–रू• 1,100/–, ऊनी पोशाक–कक्षा VI, IX एवं XII– स्वेटर+स्कार्फ–रू• 350/– कक्षा VII एवं X – ब्लेजर–रू•750/– कक्षा VIII एवं XI – ईनर+शॉल रू• 1,000/–	सामान्य पोशाक–रू• 1,100/–, ऊनी पोशाक–कक्षा VI, IX एवं XII– स्वेटर+स्कार्फ–रू• 350/– कक्षा VII एवं X – ब्लेजर–रू•750/– कक्षा VIII एवं XI – ईनर+शॉल रू• 1,000/–	स्वेटर+जूता–रू• 500/–
	दैनिक उपभोग की सामग्री	प्रति बालिका रू• 800/– तक (प्रति वर्ष)	प्रति बालिका रू• 800/– तक (प्रति वर्ष)	प्रति बालिका रू• 800/– तक (प्रति वर्ष)	प्रति बालिका रू• 800/– तक (प्रति वर्ष)

छात्रवृति		रू॰ 100/–प्रति माह प्रति बालिका	रू॰ 100/–प्रति माह प्रति बालिका	प्रति बालिका रू॰ 1000/– तक (प्रति वर्ष)	प्रति बालिका रू॰ 500/– तक (प्रति वर्ष)
स्टेशनरी/ शैक्षिक सामग्री		स्कूल बैग, कॉपी, कलम, रबर, पेंसिल, कटर, Instrument Box, आदि (प्रति बालिका रू॰ 2000/– तक), समाचार पत्र (2), पुस्तकालय हेतु पाठ्यपुस्तक, प्रतियोगिता पुस्तक	स्कूल बैग, कॉपी, कलम, रबर, पेंसिल, कटर, Instrument Box, आदि (प्रति बालिका रू॰ 2000/– तक), समाचार पत्र (2), पुस्तकालय हेतु पाठ्यपुस्तक, प्रतियोगिता पुस्तक	स्कूल बैग, कॉपी, कलम, रबर, पेंसिल, कटर, Instrument Box, आदि (प्रति बालिका रू॰ 2000/– तक), समाचार पत्र (2), पुस्तकालय हेतु पाठ्यपुस्तक, प्रतियोगिता पुस्तक	कॉपी, कलम, रबर, पेंसिल, कटर, Instrument Box, आदि, (प्रति बालिका रू॰500/– तक),
वेतन (प्रति माह) :–					
i.	वार्डेन	रू॰ 17,500/+ 500 (मोबाईल भत्ता की राशि) EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 17,500/+ 500 (मोबाईल भत्ता की राशि) EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 17,500/+ 500 (मोबाईल भत्ता की राशि) EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 17,500/+ 500 (मोबाईल भत्ता की राशि) EPF (नियोक्ता अंशदान)
ii.	अंशकालिक शिक्षिका	रू॰ 16,000/ + EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 16,000/ + EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 16,000/ + EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 16,000/ + EPF (नियोक्ता अंशदान)
iii.	प्रतिनियोजित शिक्षिका	मध्य विद्यालय की शिक्षिका रू॰2000/–(टाईप–I) एवं उच्च विद्यालय की शिक्षिका रू॰5,000 (टाईप–III)	मध्य विद्यालय की शिक्षिका रू॰2000/–(टाईप–I) एवं उच्च विद्यालय की शिक्षिका रू॰5,000	मध्य विद्यालय की शिक्षिका रू॰2000/–(टाईप–I) एवं उच्च विद्यालय की शिक्षिका रू॰5,000	मध्य विद्यालय की शिक्षिका रू॰2000/–(टाईप–I) एवं उच्च विद्यालय की शिक्षिका रू॰5,000
iv.	लेखापाल–सह– सहायक	रू॰ 9,500/+ EPF (नियोक्ता अंशदान) + महिला कर्मी को (रू॰2400/–आवासन भत्ता)	रू॰ 9,500/+ EPF (नियोक्ता अंशदान) + महिला कर्मी को (रू॰2400/–आवासन भत्ता)	रू॰ 9,500/+ EPF (नियोक्ता अंशदान) + महिला कर्मी को (रू॰2400/–आवासन भत्ता)	रू॰ 9,500/+ EPF (नियोक्ता अंशदान) + महिला कर्मी को (रू॰2400/–आवासन भत्ता)
v.	अनुसेवक	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)
vi.	रात्रि प्रहरी	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)
vii.	मुख्य रसोईया	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11400/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)
viii.	सहायक रसोईया	रू॰ 11000/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11000/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11000/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)	रू॰ 11000/+ EPF (नियोक्ता अंशदान)
परीक्षा शुल्क (मात्र कक्षा IX से कक्षा XII हेतु)		–	रू॰ 1200/–प्रति बालिका	रू॰ 1000/–प्रति	रू॰500/–प्रति बालिका
विशेष कौशल (Specific Skill) प्रशिक्षण		NIOS/BBOSE के माध्यम से बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षण/प्रशिक्षण। रू॰3000/– प्रति बालिका	NIOS/BBOSE के माध्यम से बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षण/प्रशिक्षण। रू॰3000/– प्रति बालिका	NIOS/BBOSE के माध्यम से बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षण/प्रशिक्षण। रू॰2000/– प्रति बालिका	NIOS/BBOSE के माध्यम से बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षण/प्रशिक्षण। रू॰100/– प्रति बालिका

विद्युत/ जल शुल्क	बिजली बिल+जेनेरटर ईधन, किरासन तेल, LED बल्ब, तार आदि रू॰ 1,70,000/–	बिजली बिल+जेनेरटर ईधन, किरासन तेल, LED बल्ब, तार आदि –रू॰2,94,000/–	बिजली बिल+जेनेरटर ईधन, किरासन तेल, LED बल्ब, तार आदि –रू॰2,00,000/–	बिजली बिल+जेनेरटर ईधन, किरासन तेल, LED बल्ब, तार आदि –रू॰1,00000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰
स्वास्थ्य सुविधा/ Contingencies	चिकित्सा सुविधा रू॰ 2,50,000/– First Aid Box, Group Insurance, Water Purifier, 2 Water Bottel, Lunch Box, सफाई सामग्री चादर/कम्बल धुलाई सैनिटरी नैपकीन (आवश्यकतानुसार), प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	चिकित्सा सुविधा रू॰ 2,50,000/– First Aid Box, Group Insurance, Water Purifier, 2 Water Bottel, Lunch Box, सफाई सामग्री चादर/कम्बल धुलाई सैनिटरी नैपकीन (आवश्यकतानुसार), प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	चिकित्सा सुविधा रू॰ 2,00,000/– First Aid Box, Group Insurance, Water Purifier, 2 Water Bottel, Lunch Box, सफाई सामग्री चादर/कम्बल धुलाई सैनिटरी नैपकीन (आवश्यकतानुसार), प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	चिकित्सा सुविधा रू॰ 1000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰
छात्रावास रख–रखाव	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, रसोई बर्तन, R.O संयत्र, CCTV नेटवर्किंग कीट, Face Recognition-cum-Fingerprint Biometric Attendance संयत्र आदि का क्रय रू॰ 2,50,000/–, प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, रसोई बर्तन, R.O संयत्र, CCTV नेटवर्किंग कीट, Face Recognition-cum-Fingerprint Biometric Attendance संयत्र आदि का क्रय रू॰ 3,00,000/–, प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, रसोई बर्तन, R.O संयत्र, CCTV नेटवर्किंग कीट, Face Recognition-cum-Fingerprint Biometric Attendance संयत्र आदि का क्रय रू॰ 1,00,000/–, प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, रसोई बर्तन, R.O संयत्र, CCTV नेटवर्किंग कीट, Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र आदि का क्रय रू॰ 4800/–, प्रति के॰जी॰बी॰वि॰
अन्यान्य/ प्रकीर्ण	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, डायनिंग टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, रसोई बर्तन, R.O संयत्र का क्रय रू॰80,000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, डायनिंग टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, रसोई बर्तन, R.O संयत्र का क्रय रू॰3,00,000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, डायनिंग टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, रसोई बर्तन, R.O संयत्र का क्रय रू॰1,00,000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	अन्यान्य/प्रकीर्ण रू॰4800/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰
Preparatory Camp	शैक्षणिक परिभ्रमण, अन्य कार्यक्रम रू॰20000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	शैक्षणिक परिभ्रमण, अन्य कार्यक्रम रू॰20000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	शैक्षणिक परिभ्रमण, अन्य कार्यक्रम रू॰20000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	शैक्षणिक परिभ्रमण, अन्य कार्यक्रम रू॰5000/– प्रति के॰जी॰बी॰वि॰
PTA	Rs.30,000/- प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	Rs.60,000 प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	Rs.3000/- प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	Rs.3000/- प्रति के॰जी॰बी॰वि॰
Capacity Building	Capacity Building, TA/DA to warden/Accountant (Rs30,000/- प्रति के॰जी॰बी॰वि॰)	Capacity Building, TA/DA to warden/Accountant (Rs51850/- प्रति के॰जी॰बी॰वि॰)	Capacity Building, TA/DA to warden/Accountant (Rs20,000/- प्रति के॰जी॰बी॰वि॰)	Capacity Building, TA/DA to warden/Accountant (Rs5000/- प्रति के॰जी॰बी॰वि॰)
आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण	Martial Arts Training, प्रशिक्षण कीट (Rs.30,000/-) प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	Martial Arts Training, प्रशिक्षण कीट (Rs.51,850/-) प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	Martial Arts Training, प्रशिक्षण कीट (Rs.5000/-) प्रति के॰जी॰बी॰वि॰	Martial Arts Training, प्रशिक्षण कीट (Rs.3000/-) प्रति के॰जी॰बी॰वि॰

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक-- A&ST/49/2025-26/ 2498 दिनांक-- 3/6/25

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE&SSA)
औरंगाबाद, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

विषय:– **नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय उत्क्रमित छात्रावास हेतु प्रावधानित आवर्ती मद की राशि से मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि राज्य के 07 जिलों में कुल 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास संचालित हैं। जिनमें प्रारंभिक कक्षाओं (वर्ग 01 से 08 तक) के नामांकित बच्चों के आवासन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में संचालित सभी 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के उत्क्रमण की स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के द्वारा दी गई है। अतः अब उत्क्रमित छात्रावासों में वर्ग 01 से 08 तक की कक्षाओं मे नामांकित 100 बच्चो के अतिरिक्त वर्ग 9वीं एवं 10वीं के 100 अतिरिक्त बच्चों के लिए आवासन की व्यवस्था की जानी है।

वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट 2025–26 के आवर्ती मद मे छात्रावासों के संचालन हेतु स्वीकृत राशि से 15 उत्क्रमित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावसों के लिए प्रति छात्रावास 15 लाख की दर से राशि का Drawing Limit निर्धारित किया गया है। उत्क्रमित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु आवर्ती मद में प्रावधानित राशि के व्यय हेतु गतिविधिवार ब्रेकअप निम्नवत है :–

गतिविधि कोड	गतिविधि / उप गतिविधि	वित्तीय नॉर्म्स	अभ्युक्ति
1.1.7	विद्युत / जल शुल्क	बिजली बिल+जेनेरेटर ईंधन, LED बल्ब, तार एवं Water Purifier/Despensor आदि।	रू0 1,00,000 / – प्रति वर्ष
1.1.8	भोजन	पूर्व मे प्रेषित की गई मार्गदर्शिका में वर्णित कंडिका 26 के अनुसार।	रू० 1,500 / –प्रति बच्चा प्रति माह
1.1.9	छात्रावास रख–रखाव	निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, रसोई बर्तन, CCTV नेटवर्किंग कीट, Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र आदि का क्रय, कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी एवं सभी प्रकार की पंजी / रजिस्टर	रू0 1,00,000 / – प्रति वर्ष

:0612-2667164/2667168, Fax: 0612-2667190
Email:ssabihar@gmail.com, Website www.bepcssa.in

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

1.1.10	स्वास्थ्य सुविधा / Contingencies	First Aid Box, Group Insurance, सफाई सामग्री – (झाड़ू, फिनायल आदि) चादर / कम्बल धुलाई (आवश्यकतानुसार) दैनिक उपभोग की सामग्री (यथा– ब्रश, मंजन, साबुन, तेल,शैम्पु कंघी, सर्फ आदि) अथवा आकस्मिक व्यय	रू0 1000 /– प्रति बच्चा / वर्ष
1.1.11	अन्यान्य / प्रकीर्ण (Miscellenious)	शैक्षणिक परिभ्रमण, अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम (राशि के उपलब्धता के अनुसार)	रू0 1,00,000 /– प्रति वर्ष
1.1.14	स्टाईपेंड प्रति छात्र प्रति माह (Stipend per child per Month)	सह–शैक्षणिक सामग्रियों / गतिविधियों के लिए	(रू॰ 1000 /– प्रति बच्चा प्रति वर्ष)
1.1.15	स्टेशनरी / शैक्षिक सामग्री	स्कूल बैग, कॉपी, कलम, रबर, पेंसिल, कटर, Instrument Box, चार्ट पेपर, फ्लैक्स, समाचार पत्र आदि।	(रू॰ 1000 /– प्रति बच्चा प्रति वर्ष)

पूर्व से संचालित छात्रावासों के उत्क्रमण के पश्चात् उत्क्रमित छात्रावसों के लिए अलग से पूर्णकालिक लेखापाल, मुख्य रसोईया, वार्डन का पद स्वीकृति नही है। अतः उत्क्रमित छात्रावासो के लिए पूर्णकालिक लेखापाल, मुख्य रसोईया, वार्डन का पद समान रहेंगे।

उक्त के आलोक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु प्रेषित की गई मार्गदर्शिका में वर्णित दिशा–निदेश एवं बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली के आलोक में संचालन समिति से स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक सामग्रियों का नियमानुसार क्रय कंडिका 08 में वर्णित प्रबंधन समिति की देख–रेख में कराकर सभी मूलभूत सुविधा 30 जून 2025 तक उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
(मयंक वरवड़े) ९/६/२५
राज्य परियोजना निदेशक

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांक :- Acctts/201/2025-26/ 2280 दिनांक :- 26/05/2025

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
औरंगाबाद, बाँका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं पटना।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अंतर्गत 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास को व्यय हेतु राशि आवंटित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं उसके व्यय के प्रक्रिया का पुनर्निधारण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के AWP&B में प्रारंभिक शिक्षा के 15 Netaji Subhash Chandra Bose Avasiye Vidyalaya (Hostel) – (Rec) (Existing) के अंतर्गत गतिविधियों के लिए 15 नेजाती सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास के लिए रूपये 2,25,00,000/- (दो करोड़ पचीस लाख) मात्र का Drawing Limit for Child Agencies निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा नेजाती सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास को ***अनुलग्नक – I*** में अंकित राशि को व्यय करने हेतु PFMS के Web Portal पर Drawing Limit निर्धारित किया जाय एवं निम्नानुसार राशि व्यय करने का निर्देश दिया जाय :-

i. कार्यालय ज्ञापांक Acctts/272/2016-17/Part-III/6861 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाय।
ii. Vendor / Beneficiary को भुगतान PFMS के Web – Portal से निर्गत E-Payment Print Advice से किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instrument से भुगतान नहीं किया जाय।
iii. आवंटित राशि का व्यय AWP&B 2025-26 में अनुमोदित बजट के विरूद्ध ही किया जाय।
iv. नेजाती सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास को Drawing Limit निर्धारण करने के पूर्व विवरणी की सम्पूर्ण जाँच कर ली जाय, संतुष्ट होने के पश्चात ही Drawing Limit निर्धारित करें। भिन्न होने की स्थिति में राज्य कार्यालय को तुरंत सूचित करें।
v. राशि का विचलन किसी अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाय।
vi. राशि का व्यय राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जाय।
vii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा व्यय का अनुश्रवण निरंतर करेंगे।

अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

(अजय यादव)
राज्य परियोजना निदेशक
दिनांक : 26 /05/2025

ज्ञापांक :- Acctts/201/2025-26/ 2280

प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद, बाँका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, A&ST, राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

Bihar Education Project Council, Patna

1st List of Drawing Limit for NSCBAV (2025-26)

Sl No.	Name of District	Name of Payee as in the Bank Account	Unique Agency Code	Bank Account No.	IFS Code	Drawing Limit Amount
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	AURANGABAD	NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE RESIDENCIAL HOSTAL USS BABH	BRAU00006431	40684065416	SBIN0017146	15,00,000.00
2	AURANGABAD	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE AK GOVT MS MAHARAJGANJ KUTUMBA	BRAU00006428	40689503581	SBIN0014320	15,00,000.00
3	BANKA	NETA JI SUBASHCHANDRA BOSE AWASIY CHHTTRAWAS BELHAR	BRBA00004014	40488442208	SBIN0016973	15,00,000.00
4	GAYA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MS ITWAN	BRGA00006351	41123653626	SBIN0002739	15,00,000.00
5	GAYA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MS SALAIYA IMAMGANJ	BRGA00006355	41123653637	SBIN0012615	15,00,000.00
6	JAMUI	NSCB A.M.S. CHAKAI	BRJA00003650	41123653558	SBIN0014276	15,00,000.00
7	JAMUI	NSCBABC UMS BELA	BRJA00003560	40678974826	SBIN0012538	15,00,000.00
8	JAMUI	NSCB AWASIYA BALAK CHHATRAVAS UMS HATHIYAWAR TALJHARI	BRJA00003564	40691427550	SBIN0010790	15,00,000.00
9	MUZAFFARPUR	NETAJI SUBASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL SAHEBGANJ	BRMZ00009680	41123653682	SBIN0012559	15,00,000.00
10	MUZAFFARPUR	NETAJI SUBASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MINAPUR	BRMZ00009681	41123653693	SBIN0007033	15,00,000.00
11	NAWADA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MS CHIRAILA RAJAULI	BRNW00005497	41123653581	SBIN0010774	15,00,000.00
12	BANKA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL UMS Chakkadih	BRBA00004275	41586840038	SBIN0000243	15,00,000.00
13	NAWADA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL BAPU INTER VIDYALAYA PANDEY GANGAUT	BRNW00005729	41586840027	SBIN0061743	15,00,000.00
14	Patna	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL T K GHOSH ACADEMY Govt. High school	BRPA00010486	41586840049	SBIN0003113	15,00,000.00
15	Patna	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL SAHID RAJENDRA PRASAD UCCHA MADHYAMIK VIDYALAYA GARDANIBAGH, PATNA	BRPA00010488	41580768600	SBIN0003518	15,00,000.00
	(Two Crore Twenty Five Lakh Only)					2,25,00,000.00

Ρ 2
20/05/2025

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांक- AIE/08/2018-19/ 4897 दिनांक- 28/7/23

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
औरंगाबाद, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

विषय:- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास हेतु प्रावधानित आवर्ती मद की राशि से मूलभूत सुविधा के साथ बच्चों को पोशाक आदि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 2606 दिनांक 03.05.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लिया जाय, जिसमें दिये गये निदेश के आलोक में सभी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास का संचालन 01 जुलाई 2023 से प्रारंभ किया जा चुका है।

वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट 2023-24 में कुल 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु आवर्ती मद में प्रति छात्रावास 25 लाख की दर से राशि का Drawing Limit निर्धारित किया गया है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु आवर्ती मद में प्रावधानित राशि का व्यय हेतु गतिविधिवार ब्रेकअप निम्नवत है :-

गतिविधि कोड	गतिविधि	उप गतिविधि	वित्तीय नॉर्म्स	अभ्युक्ति
38.0.1	भोजन/आवासन	भोजन	रू० 1,500/-प्रति बच्चा प्रति माह	पत्रांक 5697 दिनांक 15.09.2022 द्वारा दिये गये मेन्यू के अनुसार
		पोशाक	सामान्य पोशाक, शीतकालीन पोशाक, खेल/रात्रि विश्राम आदि से संबंधित- 3000/- रूपया प्रति बच्चा प्रति वर्ष	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास मार्गदर्शिका के कंडिका 27 में दिये गये निदेश के अनुरूप
38.0.3	स्टेशनरी/शैक्षिक सामग्री		स्कूल बैग, कॉपी, कलम, रबर पेंसिल, कटर, Instrument Box, चार्ट पेपर, पत्रिका, समाचार पत्र आदि (रू० 1000/- प्रति बच्चा प्रति वर्ष)	बच्चों की आवश्यकतानुसार
38.0.11	विद्युत/जल शुल्क		बिजली बिल/जेनेरेटर ईंधन, LED बल्ब, तार एवं Water Purifier/Despensor आदि। रू० 1000/- प्रति बच्चा प्रति वर्ष)	रू० 1,00,000/- प्रति वर्ष
38.0.12	स्वास्थ्य सुविधा/Contingencies		First Aid Box, Group Insurance, सफाई सामग्री - (झाडू, फिनायल आदि) चादर/कम्बल धुलाई (आवश्यकतानुसार) दैनिक उपयोग की सामग्री (यथा- ब्रश, मंजन, साबुन, तेल, शैम्पू, कंघी, सर्फ आदि) अथवा आकस्मिक व्यय	रू० 1250 प्रति बच्चा/वर्ष
38.0.13	छात्रावास रख-रखाव		निर्धारित क्षमता हेतु सिंगल चौकी, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा, इन्वर्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, रसोई बर्तन, CCTV नेटवर्किंग कीट, Face Recognition-cum-Fingerprint Biometric Attendance यंत्र आदि का क्रय, कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी एवं सभी प्रकार की पंजी/रजिस्टर शैक्षणिक परिभ्रमण, अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम (राशि के उपलब्धता के अनुसार)	रू० 1,00,000/- प्रति वर्ष
38.0.14	अन्यान्य/प्रकीर्ण			रू० 1,00,000/- प्रति वर्ष

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

☎:0612-2667164/2667168, Fax: 0612-2667190, Email:ssabihar@gmail.com, Website www.bepcssa.in

Scanned with OKEN Scanner

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना 800004

Bihar Education Project Coun il,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

38.0.18	Capacity Building	Capacity Building, TA/DA to warden, Teacher /Accountant etc	Rs10,000/- per Hostel
38.0.19	आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण	Martial Arts Training, प्रशिक्षण कीट (Rs.10,000/-)	Rs 10,000/ Hostel

उक्त के आलोक मे निदेशानुसार अनुरोध है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु मार्गदर्शिका मे वर्णित दिशा–निदेश एवं बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली के आलोक मे संचालन समिति से स्थानीय स्तर पर राशी आवश्यक सामग्रियो का नियमानुसार क्रय कंडिका 08 में वर्णित प्रबंधन समिति की देख–रेख मे कराकर पोशाक एवं अन्य मूलभूत सुविधा 31 जुलाई 2023 तक करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
Lalima 21.07.2023
(लालिमा)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

ज्ञापांक– AIE/08/2018-19/ 4897 दिनाक– 21/7/23
प्रतिलिपि–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0 शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान) संबंधित जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Lalima 21.07.2023
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

☎:0612-2667164/2667168, Fax: 0612-2667190, Email:ssabihar@gmail.com, Website www.bepcssa.in

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, I.A.S
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha
Parishad Campus, Saidpur,
Rajendra Nagar, Patna - 800004

पत्रांक : E-374127/Quality/92/2025-26/ 4375 दिनांक : 17/9/25

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में **CRC Grant** अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में CRC Grant अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए रू० 43000 / – प्रति CRC की दर से राशि स्वीकृत है।

Drawing Limit for Cluster Resource Centers (CRCs)					
Code	Activity	Recommendation			Total Amount for Drawing Limit
		Phy	Unit Cost	Fin (in Lakh)	
5.5.1.1	Maintenance Grant	8827	0.05	441.35	438.70
5.5.1.2	TLM Grant	8827	0.03	264.81	263.22
5.5.1.3	Meeting, TA	8827	0.15	1324.05	1316.10
5.5.1.4	Contingency Grant	8827	0.20	1765.40	1754.80
Total Academic support through CRC		8827	0.43	3795.61	3772.82

उक्त राशि के विरूद्ध संलग्न विवरण अनुलग्नक–। के अनुसार राज्य के कुल 8774 CRC/UCRC के लिए रू० 43,000 / – (तैंतालीस हजार) प्रति CRC/UCRC के दर से कुल राशि रू० 3772.82 लाख का Drawing Limit निर्धारित किया जा चुका है (विवरण का सॉफ्ट प्रति अनुलग्नक – ।। के रूप संलग्न है)।

उपरोक्त आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में CRC Grant अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते है :–

1. CRC Grant अन्तर्गत Maintenance Grant की राशि से कॉम्पलेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में CRC/UCRC के लिए निर्धारित कक्ष (यदि हो तो) के रख–रखाव, रंग–रोगन, दिवाल लेखन, उपलब्ध उपकरण आदि के रख–रखाव, मरम्मति आदि पर व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha
Parishad Campus, Saidpur,
Rajendra Nagar, Patna - 800004

2. CRC Grant अन्तर्गत TLM Grant की राशि को उपयोग कॉम्पलेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में शिक्षकों के बैठक में प्राप्त सुझाव के आलोक में मॉडल TLM के निर्माण के लिए सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. CRC Grant अन्तर्गत Meeting, TA की राशि का उपयोग कॉम्पलेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में शिक्षकों के बैठक आदि का आयोजन तथा प्रखण्ड/जिला स्तरीय बैठक में कॉम्पलेक्स विद्यालय के संचालक के भाग लेने हेतु नियमानुसार TA भुगतान में सुनिश्चित कराया जायेगा।

4. CRC Grant अन्तर्गत Contingency Grant की राशि का उपयोग कॉम्पलेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्टेशनरी आदि के लिए सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. कॉम्पलेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) के खाता का संचालन इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5889 दिनांक 21.09.2022 एवं ज्ञापांक 4471 दिनांक 05.07.2023 (प्रति संलग्न) के आलोक में सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही, अनुदान की राशि के उपयोग हेतु राज्य कार्यालय से पूर्व में प्रेषित निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

6. CRC Grant अन्तर्गत व्यय किये गये राशि का मूल विपत्र/अभिश्रव, रोकड़ पंजी, Payment Advice, Stock Register आदि को कॉम्पलेक्स विद्यालय के विद्यालय प्रधान के द्वारा अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

अतएव, निदेश है कि उपरोक्त के आलोक में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त।

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

Email:ssabihar@gmail.com

Website www.bepcssa.in

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक : E-330365/Quality/64/2025-26/ 2720 दिनांक : 20/6/25

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में BRC Grant अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–2026 में BRC Grant अर्न्तगत निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए रू० 2,05,000 / – प्रति BRC की दर से राशि स्वीकृत है।

Block Resource Centers (BRCs)					
Code	Activity	Recommendation			Total Amount for Drawing Limit
		Phy	Unit Cost	Fin (in Lakh)	
5.5.2.4	Maintenance Grant	537	0.50	268.50	268.50
5.5.2.5	TLE/TLM Grant	537	0.05	26.85	26.85
5.5.2.6	Meeting, TA	537	0.50	268.50	268.50
5.5.2.7	Contingency Grant	537	1.00	537.00	537.00
Total for Academic support through BRC		**537**		**1100.85**	**1100.85**

उक्त राशि के विरूद्ध संलग्न विवरण अनुलग्नक–। के अनुसार राज्य के कुल 537 BRC/URC के लिए रू० 2,05000 / – (दो लाख पॉच हजार) प्रति BRC/URC के दर से कुल राशि रू० 1100.85 लाख का Drawing Limit निर्धारित किया जा चुका है (विवरण का सॉफ्ट प्रति अनुलग्नक –। के रूप संलग्न है)।

उपरोक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में BRC Grant अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते है :–

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद कैम्पस,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

1. BRC Grant अन्तर्गत Maintenance Grant की राशि से BRC/URC के रख-रखाव, रंग-रोगन, दिवाल लेखन, उपलब्ध उपकरण आदि के रख-रखाव, मरम्मति के साथ-साथ जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक विभिन्न प्रकार की सामग्री के उठाव आदि पर व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. BRC Grant अन्तर्गत TLE/TLM Grant मद में उपलब्ध करायी गई राशि को प्रखंड स्तर पर आहूत होने वाले TLM मेला/ TLM से संबंधित गतिविधि, जिसके लिए अलग से निदेश दिया जायेगा, में किया जायेगा।
3. BRC Grant अन्तर्गत Meeting, TA की राशि का उपयोग BRC/URC में शिक्षकों के बैठक आदि का आयोजन तथा जिला स्तरीय बैठक में BRC/URC के समन्वयक/साधन सेवी/लेखा सहायक के भाग लेने हेतु नियमानुसार TA भुगतान में सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक विभिन्न प्रकार की सामग्री के उठाव पर होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
4. BRC Grant अन्तर्गत Contingency Grant की राशि का उपयोग BRC/URC में विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्टेशनरी आदि के लिए सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक विभिन्न प्रकार की सामग्री के उठाव पर होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
5. BRC/URC के खाता का संचालन इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5887 दिनांक 21.09.2022 (प्रति संलग्न) के आलोक में सुनिश्चित कराया जाएगा।
6. BRC Grant अन्तर्गत व्यय किये गये राशि का मूल विपत्र/अभिश्रव, रोकड़ पंजी, Payment Advice, Stock Register आदि को BRC/URC के समन्वयक/लेखा सहायक द्वारा अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
Mayank
20/6/25
(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त।

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

Email:ssabihar@gmail.com
Website www.bepcssa.in

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, I.A.S
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर,
सैदपुर, राजेन्दनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक : E-333337/Quality/344/2025/ 4078 दिनांक 01/09/25

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में अनुमोदित गतिविधि "Twinning of School" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच पीयर–टू–पीयर लर्निंग हेतु जिलें के निकटतम सरकारी/निजी/नवोदय/केन्द्रीय विद्यालयों/सरकरी या निजी उच्च शिक्षा संस्थानो से या आपस में एक दूसरे के साथ सम्बद्ध कर उनके बीच अकादमिक और सह–पाठयक्रम गतिविधियों को साझा करने के उद्देश्य से 'Twinning of School' गतिविधि अनुमोदित है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹10000/– प्रति विद्यालय की दर से जिलावार स्वीकृत राशि का विवरण अनुलग्नक–1 के रुप में संलग्न है।

अतएव आपके जिले के लक्ष्य अनुसार "Twinning of School" गतिविधि का विद्यालयों में संचालन हेतु निम्नवत् निदेश दिए जाते है :–

(1) सर्वप्रथम संलग्न अनुलग्नक–1 के अनुसार निर्धारित संख्या में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निकटतम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ उच्चतर शिक्षण संस्थानों से आपस मे सम्बद्ध करते हुये विद्यालयों के एकदिवसीय भ्रमण का कैलेण्डर तैयार करके सभी विद्यालयों को सूचित किया जाय। Twinning के लिए सम्बद्ध विद्यालयों में भ्रमण संबंधी कैलेंडर दिनांक 02.10.2025 से 10.01.2026 के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही, राज्य कार्यालय को कैलेंडर संबंधी सूचना ऑनलाइन ट्रैकर के माध्यम से दिनांक 30.09.2025 तक उपलब्ध कराई जाय।

(2) "Twinning of School" के लिए सम्बद्ध विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा अधिकतम 50 बच्चों तथा 02 शिक्षकों का समूह बनाया जायेगा। संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाध्यापक आपस में समन्वय कर Twinning के लिए निर्धारित कैलेंडर अनुसार सम्बद्ध विद्यालय के विद्यार्थियों के स्वागत के लिए विद्यालय में गठित बाल संसद, साइन्स क्लब, इको क्लब के सदस्यों के माध्यम से विद्यालय मे आवश्यक तैयारी करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

(3) Twinning के क्रम में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों तथा शिक्षकों के समूह द्वारा संबद्ध विद्यालयों में चेतना सत्र के पूर्व पहुँच कर विद्यालय के दैनिक कार्यक्रमों एवं उपलब्ध संरचना यथा – स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कॉमन रूम आदि के विद्यालय में उपयोग संबंधी बेस्ट प्रेक्टिसेस का अवलोकन किया जाएगा। साथ ही, उक्त विद्यालय के ईको क्लब, बाल संसद एवं वर्ग मॉनिटर के साथ उनके अनुभवों/विचार का आदान–प्रदान करेंगे।

(4) मेजबान विद्यालयों के बच्चों द्वारा विद्यालय में वाद–विवाद, भाषण, कविता/कहानी लेखन, पेंटिंग, सामूहिक खेल प्रतियोगिता सांस्कृतिक गतिविधियाँ, आदि का आयोजन किया जायेगा तथा गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

(5) इस गतिविधि हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित रू0 10,000/–मात्र की राशि का Drawing Limit किया जा रहा है। उक्त राशि का उपयोग भ्रमण हेतु वाहन, विद्यालय भ्रमण के दौरान छात्र/छात्राओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु सहायक सामग्री विजेताओं के लिए शील्ड/मेडल आकस्मिकता– बैनर, स्टेशनरी, फोटोग्राफ और वीडियो (सॉफ्ट कॉपी) सहित, वीडियो रिपोर्ट लेखन आदि में किया जा सकता है।

(6) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखंड अंतर्गत संबद्ध विद्यालयों का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस वाले फोटो एवं विडियो के साथ प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को 15 जनवरी 2025 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

अतएव, तद्नुसार यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांक :- Acctts/201/2025-26/ 5603 दिनांक :- 02/11/2025

DFR D.2 MFR

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत् जिला, प्रखंड एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "राष्ट्रीय आविष्कार अभियान" अंतर्गत व्यय हेतु Drawing Limit निर्धारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं उसके व्यय के प्रक्रिया का पुनर्निधारण के तहत 38 जिलों, 537 प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों, 6470 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **"राष्ट्रीय आविष्कार अभियान"** अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा के सामान्य मद् में जिला, प्रखंड एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर **"राष्ट्रीय आविष्कार अभियान"** में व्यय हेतु कुल रूपये 5,25,80,000/- (पाँच करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार) मात्र (जिलावार विवरणी ***अनुलग्नक - I*** के रूप में संलग्न) का Drawing Limit for Child Agencies निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों के लिए ***अनुलग्नक - II*** में अंकित राशि को व्यय करने हेतु PFMS के Web Portal पर Drawing Limit निर्धारित किया जाय एवं निम्नानुसार राशि व्यय करने का निर्देश दिया जाय :-

i. कार्यालय ज्ञापांक Acctts/272/2016-17/Part-III/6861 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाय।
ii. Vendor / Beneficiary को भुगतान PFMS के Web - Portal से निर्गत E-Payment Print Advice से किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instrument से भुगतान नहीं किया जाय।
iii. आवंटित राशि का व्यय AWP&B 2025-26 में अनुमोदित बजट के विरूद्ध ही किया जाय।
iv. प्रखंड संसाधन केन्द्रों को Drawing Limit निर्धारण करने के पूर्व विवरणी की सम्पूर्ण जाँच कर ली जाय, संतुष्ट होने के पश्चात ही Drawing Limit निर्धारित करें। भिन्न होने की स्थिति में राज्य कार्यालय को तुरंत सूचित करें।
v. राशि का विचलन किसी अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाय।
vi. राशि का व्यय राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जाय।
vii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा व्यय का अनुश्रवण निरंतर करेंगे।

अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :- Acctts/201/2025-26/ 5603 दिनांक :- 02/11/2025

प्रतिलिपि :-

1. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, Quality, राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

☎ 0612-2667164/2667168, Fax: 0612-2667190 ...
Email: ...@gmail.com, Website www.bepcssa.in

Bihar Education Project Council, Patna

List of Drawing Limit for District Level offices (2025-26) Under Rashtriya Abishkar Abhiyan

Sl No.	Name of District	District Level Drawing Limit Amount	Count of Name of Payee as in the Bank Account	Sum of Drawing Limit Total Amount	Count of Name of SMC/SMDC	Sum of Drawing Limit Amount	Total
1	Araria	110000.00	9	270000	133	665000.00	1045000.00
2	Arwal	110000.00	5	150000	57	285000.00	545000.00
3	Aurangabad	110000.00	11	330000	139	695000.00	1135000.00
4	Banka	110000.00	11	330000	130	650000.00	1090000.00
5	Begusarai	110000.00	18	540000	163	815000.00	1465000.00
6	Bhagalpur	110000.00	17	490000	170	850000.00	1450000.00
7	Bhojpur	110000.00	14	420000	186	930000.00	1460000.00
8	Buxer	110000.00	11	330000	159	795000.00	1235000.00
9	Darbhanga	110000.00	19	550000	189	945000.00	1605000.00
10	East Champaran	110000.00	27	810000	221	1105000.00	2025000.00
11	Gaya	110000.00	24	720000	209	1045000.00	1875000.00
12	Gopalganj	110000.00	14	420000	69	345000.00	875000.00
13	Jehanabad	110000.00	10	300000	63	315000.00	725000.00
14	Jamui	110000.00	7	210000	63	315000.00	635000.00
15	Kaimur	110000.00	11	330000	160	800000.00	1240000.00
16	Katihar	110000.00	16	480000	112	560000.00	1150000.00
17	Khagaria	110000.00	7	210000	55	275000.00	595000.00
18	Kishanganj	110000.00	7	210000	58	290000.00	610000.00
19	Lakhisarai	110000.00	7	210000	178	890000.00	1210000.00
20	Madhepura	110000.00	13	390000	302	1510000.00	2010000.00
21	Madhubani	110000.00	21	630000	107	535000.00	1275000.00
22	Munger	110000.00	9	270000	235	1175000.00	1555000.00
23	Muzafferpur	110000.00	16	480000	219	1095000.00	1685000.00
24	Nalanda	110000.00	20	600000	124	620000.00	1330000.00
25	Nawada	110000.00	14	420000	336	1680000.00	2210000.00
26	Patna	110000.00	24	700000	364	1820000.00	2630000.00
27	Purnea	110000.00	14	420000	433	2165000.00	2695000.00
28	Rohtas	110000.00	19	570000	122	610000.00	1290000.00
29	Saharsha	110000.00	10	300000	196	980000.00	1390000.00
30	Samastipur	110000.00	20	600000	106	530000.00	1240000.00
31	Saran	110000.00	20	600000	290	1450000.00	2160000.00
32	Sheikhpura	110000.00	6	180000	287	1435000.00	1725000.00
33	Sheohar	110000.00	5	150000	38	190000.00	450000.00
34	Sitamarhi	110000.00	17	510000	34	170000.00	790000.00
35	Siwan	110000.00	19	570000	197	985000.00	1665000.00
36	Supaul	110000.00	11	330000	256	1280000.00	1720000.00
37	Vaishali	110000.00	16	480000	98	490000.00	1080000.00
38	West Champaran	110000.00	18	540000	212	1060000.00	1710000.00
Total		4180000.00	537	16050000.00	6470	32350000.00	52580000.00

Sl No.	Name of District	Activity			Total Amount For Drawing Limit
		Science Exhibition (Elementary)	Science (S) Exhibition (Secondary)	Quiz Competition (Elementary)	
1	ARARIA	90000.00	90000.00	90000.00	270000.00
2	ARWAL	50000.00	50000.00	50000.00	150000.00
3	AURANGABAD	110000.00	110000.00	110000.00	330000.00
4	BANKA	110000.00	110000.00	110000.00	330000.00
5	BEGUSARAI	180000.00	180000.00	180000.00	540000.00
6	BHAGALPUR	150000.00	170000.00	170000.00	490000.00
7	BHOJPUR	140000.00	140000.00	140000.00	420000.00
8	BUXAR	110000.00	110000.00	110000.00	330000.00
9	DARBHANGA	170000.00	190000.00	190000.00	550000.00
10	EAST CHAMPARAN	270000.00	270000.00	270000.00	810000.00
11	GAYA	240000.00	240000.00	240000.00	720000.00
12	GOPALGANJ	140000.00	140000.00	140000.00	420000.00
13	Jehanabad	70000.00	70000.00	70000.00	210000.00
14	JAMUI	100000.00	100000.00	100000.00	300000.00
15	KAIMUR	110000.00	110000.00	110000.00	330000.00
16	KATIHAR	160000.00	160000.00	160000.00	480000.00
17	KHAGARIA	70000.00	70000.00	70000.00	210000.00
18	KISHANGANJ	70000.00	70000.00	70000.00	210000.00
19	LAKHISARAI	70000.00	70000.00	70000.00	210000.00
20	MADHEPURA	130000.00	130000.00	130000.00	390000.00
21	Madhubani	210000.00	210000.00	210000.00	630000.00
22	MUNGER	90000.00	90000.00	90000.00	270000.00
23	Muzaffarpur	160000.00	160000.00	160000.00	480000.00
24	Nalanda	200000.00	200000.00	200000.00	600000.00
25	Nawada	140000.00	140000.00	140000.00	420000.00
26	PATNA	220000.00	240000.00	240000.00	700000.00
27	PURNIA	140000.00	140000.00	140000.00	420000.00
28	ROHTAS	190000.00	190000.00	190000.00	570000.00
29	SAHARSA	100000.00	100000.00	100000.00	300000.00
30	SAMASTIPUR	200000.00	200000.00	200000.00	600000.00
32	SARAN	200000.00	200000.00	200000.00	600000.00
31	Sheikhpura	60000.00	60000.00	60000.00	180000.00
33	SHEOHAR	50000.00	50000.00	50000.00	150000.00
34	SITAMARHI	170000.00	170000.00	170000.00	510000.00
35	SIWAN	190000.00	190000.00	190000.00	570000.00
36	SUPAUL	110000.00	110000.00	110000.00	330000.00
37	VAISHALI	160000.00	160000.00	160000.00	480000.00
38	WEST CHAMPARAN	180000.00	180000.00	180000.00	540000.00
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Asha
4/12/2025

पत्रांक : Quality/M1/2025- [illegible] दिनांक : [illegible]

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषयः– समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अन्तर्गत अनुमोदित "Formation of Science Club/Maths Club" गतिविधि के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अन्तर्गत "Formation of Science Club/Maths Club" की गतिविधि हेतु सभी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय ₹5000/– की दर से बजट की स्वीकृति प्राप्त है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लब का गठन कर विद्यालयों में गतिविधियों के संचालन करने हेतु निदेश निम्नवत है :–

1. आपके जिले के सभी विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लब के गठन तथा गतिविधियों के आयोजन हेतु राज्य स्तर पर तैयार किये गये दिशा–निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुए दिनांक 30.08.2025 तक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित क्लब के गठन/पुर्नगठन कराए जाने का निदेश संबंधित प्रधानाध्यापकों को दिया जाय।
2. जिले के द्वारा प्रत्येक माह विद्यालयों से क्लब अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन संबंधी अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिले द्वारा विज्ञान एवं गणित क्लब के गतिविधियों से संबंधित Best Practices अन्तर्गत प्रतिवेदन, फोटोग्राफस एवं वीडियो क्लिप (1–2 Minute) के साथ राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अतएव, उपरोक्त के आलोक में तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषयः— समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025—26 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025—26 में कक्षा VI-XII तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने, जिज्ञासा आधारित प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने तथा विज्ञान/गणित एवं प्रौद्योगिकी विषय के शिक्षण को रुचिकर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता हेतु बजट अनुमोदित है। प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निम्न विवरणीनुसार जिलों की वित्तीय अधिसीमा तय की जा रही है :-

Activity	School level	Block/BRC (Rs)	District (Rs)
Science Exhibition	Elementary Schools	10000	50000
	Secondary Schools	10000	50000
Quiz Competition	Elementary Schools	0	10000
	Secondary Schools	10000	0
Total Budget for combined activity at block and district		30000	1,10,000

जिले के प्रारंभिक/माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का प्रखंड/BRC एवं जिला स्तर पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के थीम पर आधारित निम्न 03 विषयों पर विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना है।

(क) "विकसित भारत" के लिए विज्ञान और नवाचार में संभावनाएँ (कक्षा 06 से 12 के लिए)

(ख) कृत्रिम बुद्धिमता (AI) का उपयोग संभावनाएँ और चुनौतियाँ है। (कक्षा 06 से 08 के लिए)

(ग) क्वांटम युग का आगाज संभावनाएँ और चुनौतियाँ है। (कक्षा 09 से 12 के लिए)

अतएव, प्रखंड/BRC एवं जिला स्तर पर संयुक्त रूप से प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं:—

1. जिले के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में गठित विज्ञान एवं गणित क्लब के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने का निदेश दिया जाय। सभी प्रतियोगिता हेतु सभी विषय

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] जायेगी।

2. प्रखंड स्तर पर प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के विज्ञान प्रदर्शनी/पुस्तक मेला एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 20 सितम्बर, 2025 तक कराया जाय। प्रखंड स्तरीय आयोजन में SCERT, पटना से प्रशिक्षित शिक्षकों एवं DIET/ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों के सहयोग से विज्ञान एवं गणित विषय से संबंधित प्रायोगिक कार्यक्रमों, प्रश्नोत्तरी इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। प्रखंड स्तर पर प्रारंभिक एवं माध्यमिक श्रेणी में सभी विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त विजेता टीम की प्रतिभागिता जिला स्तरीय प्रतियोगिता में होगी।

3. जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 25 सितम्बर, 2025 तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त टीम की विवरणी राज्य कार्यालय को दिनांक–02.10.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु निदेश अलग से प्रेषित की जायेगी।

4. प्रखंड एवं जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निर्धारित राशि का उपयोग बैनर, आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्था, स्टेशनरी, ऑडियो विजुअल सामग्री, निर्णायकों के मानदेय एवं प्रतिभागियों के लंच/चाय/पानी, विजेताओं के पुरस्कार, प्रतिभागियों के सर्टिफिकेट आदि में किया जायेगा। साथ ही, प्रखंड एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के संपादन के उपरान्त व्ययित राशि का प्रतिवेदन प्रबंध पोर्टल पर दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के पूर्व तक अपडेट कराया जायेगा।

अतएव, तद्नुसार यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

21/8/25

(मयंक वरवड़े)

राज्य परियोजना निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त।

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक : E-337010/Quality/Kala Utsav/2023/ 4555 दिनांक : 22/9/25

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में अनुमोदित गतिविधि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का जिले में क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 से की गयी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो में रहने वाले लोगों के बीच विविध संस्कृति परंपराओं, संगीत, पर्यटन, भोजन, खेलकूद और सर्वोत्तम प्रथाओं के परस्पर आदान–प्रदान के साथ सतत् सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार राज्य से मिजोरम एवं त्रिपुरा को सबंद्ध करते हुए विद्यार्थियों में इन राज्यों के भाषा, संस्कृति, साहित्य, खेल, पर्यटन आदि से अवगत कराने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 के कडिका '3.1.1–2' में राज्य के सभी BRC हेतु प्रति BRC रु0 5,000/– (पाँच हजार) मात्र की राशि अनुमोदित है।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत'(EBSB) कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में EBSB क्लब का गठन/पुनर्गठन करने एवं विद्यार्थियों के बीच सबंद्ध राज्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के विद्यालय एवं प्रखंड स्तर पर संचालन करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं।

1. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय के नोडल शिक्षक द्वारा प्रत्येक सप्ताह चेतना सत्र में संबद्ध राज्यों के सांस्कृतिक एवं साहित्यक गतिविधियों की जानकारी देते हुए अपने राज्य की भाषा तथा सबंद्ध राज्य की भाषा में बच्चों को जानकारी दी जाएगी ।
2. एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु भाषा संगम की सामग्री व बुकलेट Text from एवं Q.R Code , Audio and Video में दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। NCERT की वेबसाइट पर सभी राज्य की भाषा में वर्णमाला, गीत, कहावतें तथा 100 वाक्य उपलब्ध है। नोडल शिक्षक द्वारा इनके माध्यम से विद्यार्थियों को संबद्ध राज्य की भाषा से अवगत कराया जाएगा।
3. विभिन्न संचार माध्यमों, यथा – इंटरनेट का उपयोग कर मिजोरम/त्रिपुरा से संबंधित स्थानीय समाचारों, पत्रिकाओं, न्यूज चैनलों आदि का अवलोकन करने हेतु बच्चों को

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, IAS
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad campus.
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

प्रेरित किया जाए, ताकि वे वहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों, पर्यटन स्थलों, त्योहारों, वेश–भूषा तथा कला एवं संस्कृति आदि से परिचित हो सकें।

4. एक भारत श्रेष्ठ भारत अन्तर्गत विद्यालयों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए सुझावित कैलेन्डर पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। सभी विद्यालयों को कैलेन्डर उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक माह विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का संचालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय स्तर पर भाषण, लेखन, क्विज, रंगोली, चित्रकला एवं संस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए, जो मिजोरम/त्रिपुरा थीम पर आधारित होगा।

5. प्रखंड स्तर पर दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में भाषण, निबंध लेखन, रंगोली, क्विज, चित्रकला, संस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के प्रतिभागिता होगी। इस हेतु बैनर, प्रतिभागियों एवं मूल्यांकनकर्त्ताओं हेतु लंच, चाय आदि तथा सर्टिफिकेट, विजेताओं हेतु पुरस्कार एवं अन्यान्य मदों में अधिकतम ₹ 5000/– (पाँच हजार) मात्र राशि का व्यय नियमानुसार किया जा सकता है।

6. जिले के विद्यालयों में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' से संबंधित गतिविधियों के अच्छे अधिकतम 20 फोटो एवं वीडियो को संकलित कर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में गतिविधियों का विवरण वीडियो/फोटोग्राफ को Google tracker पर अपलोड किया जाय।

अतएवः निदेश है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
Warwade
(मयंक वरवड़े) 2/12/25
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

Mayank Warwade, I.A.S
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए विद्यालय स्तर पर सुझावित गतिविधियों को कैलेन्डर

क्र0	माह	गतिविधि का नाम
1	अक्टूबर, 2025	विद्यार्थियों को युग्म राज्यों की सांस्कृतिक मैपिंग की जानकारी दी जाएगी जिसमें वेशभूषा, खान-पान, रीति-रिवाज, लोकगीत, लोकनृत्य, लोकवाद्य आदि की जानकारी साझा करना। युग्म राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों, वेशभूषा, पेटिंग, हस्तशिल्प व संस्कृति पर विद्यार्थियों से अपने विचार व्यक्त करने तथा उन विचारों को डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना। 30 अक्टूबर, 2025 को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर 'सरदार वल्लभ भाई' के जीवन से जुड़ी बातों पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन करना।
2	नवम्बर, 2025	चेतना सत्र के दौरान मिजोरम/त्रिपुरा के भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक स्थिति तथा खेल, पर्व-त्योहार, खान-पान, फसल एवं खेती आदि पर 3 से 5 मिनट का शिक्षकों की सहायता से बच्चों द्वारा प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शन करना।
3	दिसम्बर, 2025	बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित भाषण, निबंध लेखन, रंगोली, क्विज, चित्रकला, संस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। वर्ग-कक्ष में पेंटिंग आदि का प्रदर्शन तथा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं के नाम एवं फोटो का विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शन करना।
4	जनवरी, 2026	"एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अन्तर्गत विद्यालाय के सभी विद्यार्थियों के द्वारा EBSB पोर्टफोलियो बनायी जायेगी, जिसमें विद्यार्थी संबद्ध राज्यों के महत्वपूर्ण तथ्यों, परिचय, ऐतिहासिक स्थान, स्वदेशी खेल एवं राज्य के बारे में महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी का नोटबुक में संधारित करेंगे। छात्रों का मूल्यांकन उनके द्वारा तैयार नोटबुक के आधार पर किया जाये। श्रेष्ठ पोर्टफोलियों बनाने वाले तीन छात्रों को विद्यालय द्वारा सम्मानित किया जाये।
5	फरवरी, 2026	बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा की प्राकृतिक संपदाओं, यथा – नदियों, पहाड़ों एवं वर्षा विषय पर तथा खान-पान एवं कृषि विषय पर चेतना सत्र में बच्चों द्वारा प्रस्तुतिकरण का आयोजन करना। बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा से संबंधित फैशन ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन करना।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांक :- Acctts/201/2025-26/ 4520 दिनांक :22/09/2025

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालय शिक्षा समितियों को व्यय हेतु Drawing Limit निर्धारण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं उसके व्यय के प्रक्रिया का पुनर्निधारण के तहत 38 जिलों के 72119 विद्यालय शिक्षा समिति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के सामान्य मद् के Youth & Eco Club गतिविधियों में व्यय हेतु कुल रूपये 61,76,60,000/- (एकसठ करोड़ छिहत्तर लाख साठ हजार) मात्र (जिलावार विवरणी ***अनुलग्नक - I*** के रूप में संलग्न) का Drawing Limit for Child Agencies निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय शिक्षा समितियों के लिए ***अनुलग्नक - II (Soft Copy)*** में अंकित राशि को व्यय करने हेतु PFMS के Web Portal पर Drawing Limit निर्धारित किया जाय एवं निम्नानुसार राशि व्यय करने का निर्देश दिया जाय :-

i. कार्यालय ज्ञापांक Acctts/272/2016-17/Part-III/6861 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाय।
ii. Vendor / Beneficiary को भुगतान PFMS के Web – Portal से निर्गत E-Payment Print Advice से किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instrument से भुगतान नहीं किया जाय।
iii. आवंटित राशि का व्यय AWP&B 2025-26 में अनुमोदित बजट के विरूद्ध ही किया जाय।
iv. राज्य कार्यालय से विद्यालयों को निर्धारित Drawing की विवरणी को जाँच ली जाय, तत्पश्चात् विद्यालयों को Drawing Limit निर्धारित की जाय।
v. राशि का विचलन किसी अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाय।
vi. राशि का व्यय राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जाय।
vii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा व्यय का अनुश्रवण निरंतर करेंगे।

अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :- यथोक्त।

20/9/25
(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :- Acctts/201/2025-26/ 4520 **दिनांक :22/09/2025**

प्रतिलिपि :- **1.** जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, गुणवत्ता शिक्षा, राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/9/25
राज्य परियोजना निदेशक

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

☎:0612-2667164/2667168, Fax: 0612-2667190 RAJ-353/25
Email:ssabihar@gmail.com. Website www.bepcssa.in

Bihar Education Project council Patna
Drawing Limit - Youth & ECO Club 2025-26

SL NO	Name of District	Count of Name of SMC/SMDC	Drawing limit Amount
1	ARARIA (1007)	1956	15085000.00
2	ARWAL (1038)	580	5000000.00
3	AURANGABAD (1034)	2160	18270000.00
4	BANKA (1023)	2118	17055000.00
5	BEGUSARAI (1020)	1542	14210000.00
6	BHAGALPUR (1022)	1834	16410000.00
7	BHOJPUR (1029)	2052	17675000.00
8	BUXAR (1030)	1228	11415000.00
9	DARBHANGA (1013)	2335	19150000.00
10	E. CHAMPARAN (1002)	3535	32290000.00
11	GAYA (1035)	3136	26215000.00
12	GOPALGANJ (1015)	1849	16410000.00
13	JAMUI (1037)	1632	13225000.00
14	JEHANABAD (1033)	921	7435000.00
15	KAIMUR (1031)	1162	9505000.00
16	KATIHAR (1010)	1874	15630000.00
17	KHAGARIA (1021)	1101	9970000.00
18	KISHANGANJ (1008)	1370	10465000.00
19	LAKHISARAI (1025)	762	6225000.00
20	MADHEPURA (1011)	1626	14880000.00
21	MADHUBANI (1005)	3065	25805000.00
22	MUNGER (1024)	1044	9460000.00
23	MUZAFFARPUR (1014)	3061	26035000.00
24	NALANDA (1027)	2325	19835000.00
25	NAWADA (1036)	1700	14045000.00
26	PATNA (1028)	3425	29855000.00
27	PURNIA (1009)	2169	16775000.00
28	ROHTAS (1032)	2159	18265000.00
29	SAHARSA (1012)	1301	10885000.00
30	SAMASTIPUR (1019)	2685	23595000.00
31	SARAN (1017)	2676	24060000.00
32	SHEIKHPURA (1026)	489	4240000.00
33	SHEOHAR (1003)	413	3560000.00
34	SITAMARHI (1004)	2068	18300000.00
35	SIWAN (1016)	2237	20180000.00
36	SUPAUL (1006)	1643	12775000.00
37	VAISHALI (1018)	2179	19470000.00
38	W. CHAMPARAN (1001)	2707	24000000.00
	Grand Total	**72119**	**617660000.00**

16/09/2025

Manish Mayank
Chief Accounts Officer (I/C)
Bihar Education Pr...
Patna
Mob:- 854...

20/9/25
State Project Director
Bihar Education Project Council
PATNA

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांक :- Acctts/201/2025-26/ 2882 दिनांक :- 01 /07/2025

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालय शिक्षा समिति को व्यय हेतु **Drawing Limit निर्धारण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं उसके व्यय के प्रक्रिया का पुनर्निधारण के तहत 38 जिलों के 38 विद्यालय शिक्षा समितियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में IE संभाग अंतर्गत SPARSH गतिविधि में व्यय हेतु कुल रूपये **1,41,96,800/-** (एक करोड़ एकतालीस लाख छियान्वे हजार आठ सौ) मात्र का Drawing Limit for Child Agencies निर्धारित किया गया है।

उक्त के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय शिक्षा समितियों के लिए ***अनुलग्नक – I*** में अंकित राशि को व्यय करने हेतु PFMS के Web Portal पर Drawing Limit निर्धारित किया जाय एवं निम्नानुसार राशि व्यय करने का निर्देश दिया जाय :-

i. कार्यालय ज्ञापांक Acctts/272/2016-17/Part-III/6861 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाय।
ii. Vendor / Beneficiary को भुगतान PFMS के Web – Portal से निर्गत E-Payment Print Advice से किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instrument से भुगतान नहीं किया जाय।
iii. आवंटित राशि का व्यय AWP&B 2025-26 में अनुमोदित बजट के विरूद्ध ही किया जाय।
iv. विद्यालयों को Drawing Limit निर्धारण करने के पूर्व विवरणी में उपलब्ध करायी गयी सूचना की जाँच कर ली जाय, साथ ही इसका मिलान PFMS के Web-Portal से भी कर ली जाय। भिन्न होने की स्थिति में राज्य कार्यालय को सूचित करें।

अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
30/6/25
(मयंक वरवड़े)
राज्य परियोजना निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त।

ज्ञापांक :- Acctts/201/2025-26/ 2882 **दिनांक :- 01 /07/2025**

प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (IE), राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/25
राज्य परियोजना निदेशक

Bihar Education Project Council, Patna

1st List of Drawing Limit for SMC_SMDC (2025-26)(IE Training)

Sl No.	Name of District	Name of Payee as in the Bank Account	UDISE Code	Unique Agency Code	Bank Account No.	IFS Code	Drawing Limit Amount
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	Araria	M.S Bhansiya	10071411101	BRAR00000523	40689431741	SBIN0015805	283936.00
2	Arwal	V.S.S M.S Manikpur	10380704001	BRAW00000179	40471471102	SBIN0014319	283936.00
3	Aurangabad	M.S Siris	10341407201	BRAU00002201	40472613400	SBIN0012604	283936.00
4	Banka	AMS Dhouni	10230504503	BRBA00001660	40684027005	SBIN0006088	283936.00
5	Begusarai	U.M.S Ashurari, Brauni	10200804301	BRBE00000540	40460871124	SBIN0004520	283936.00
6	Bhagalpur	Bhwani K.M.S Khanjarpur	10220700701	BRBG00001325	40675024662	SBIN0001521	567872.00
7	Bhojpur	Lakha interstate S.Barni	10290900202	BRBJ00005914	40471783745	SBIN0011806	283936.00
8	Buxar	B.N.H.S Brahampur	10302001210	BRBU00003156	40681556407	SBIN0002923	283936.00
9	Darbhanga	MS Paghari Samagra Shiksha	10130507002	BRDA00000781	40477735036	SBIN0011829	454298.00
10	E. Champaran	R.M.S Naya Bariyarpur	10021605303	BREC00003364	40470043018	SBIN0018357	567872.00
11	Gaya	M.S Dhandhopur	10351700202	BRGA00000567	40684069997	SBIN0017426	567872.00
12	Gopalganj	VSS UMS Manjha	10151101101	BRGO00000428	40680724893	SBIN0011808	283936.00
13	Jamui	ADARSH P.D.M.S.JAMUI	10371006701	BRJA00002100	40675225236	SBIN0012538	283936.00
14	Jehanabad	Kanya M.S Horilganj	10331115001	BRJE00000509	40667080638	SBIN0061448	283936.00
15	Kaimur	HIGH SCHOOL BHAGWANPUR	10310200903	BRKM00002315	40684150958	SBIN0003348	283936.00
16	Katihar	M.S Bastaul	10101304101	BRKT00002514	40501886273	SBIN0002962	567872.00
17	Khagaria	Adharsh.Sukhraj M.S Choutham	10210402601	BRKH00000259	40666850124	SBIN0003212	283936.00
18	Kishanganj	Utkr.U.M.S Dhanpura, Kochadham	10082705601	BRKI00002625	40692317921	SBIN0006426	283936.00
19	Lakhisarai	Utkr Madhamik.S Kajra	10252507902	BRLA00000699	40681700270	SBIN0014314	283936.00
20	Madhepura	M.S Ladma	10110502301	BRMP00000315	40472519009	SBIN0003571	567872.00
21	Madhubani	R.M.S Mokrampur	10051800504	BRMB00002993	40505247153	SBIN0014305	567872.00
22	Munger	VSS MADHYA VIDALAYA INDRUKH JAMALPUR	10240202101	BRMG00000829	40470547695	SBIN0006610	283936.00
23	Muzaffarpur	M.S Rohua, Musahri	10140800501	BRMZ00001977	40715451046	SBIN0014283	454298.00
24	Nalanda	UMS Hasanpur Harnaut	10270803902	BRNL00000517	40488205856	SBIN0012594	454298.00
25	Nawada	UMS Ambika Bigha	10360904502	BRNW00000907	40470217599	SBIN0002362	567872.00
26	Patna	M.S Ramjichak , Danapur	10280808803	BRPA00000245	40493436401	SBIN0017466	567872.00
27	Purnia	Upgraded H.S Dagarua	10091400401	BRPU00004384	40675231975	SBIN0012638	454297.00
28	Rohtas	Sahu Jain M.S Dalmiya Nagar Dihri	10320121103	BRRO00001626	40471480491	SBIN0000060	283936.00
29	Saharsa	M.s Lalpur Pirnagra banma Ithari	10121000502	BRSH00000441	40675350890	SBIN0008156	283936.00
30	Samastipur	R.M.S.Malinager	10191910001	BRSM00001774	40505406272	SBIN0018040	283936.00
31	Saran	Sri Ram Awtar High School Goraipur	10170500202	BRSR00007343	40692359177	SBIN0010083	283936.00
32	Sheikhpura	M.S Karande	10261601001	BRSP00000315	40489866225	SBIN0003002	283936.00
33	Sheohar	A.M.S Sheohar	10030202101	BRSO00000374	40505424123	SBIN0004447	283936.00
34	Sitamarhi	vss govt. basic school pakri	10040607403	BRST00001400	40505086613	SBIN0000186	454297.00
35	Siwan	Rajkiya M.S.Daraunda	10160503001	BRSW00000762	40483910227	SBIN0004577	283936.00
36	Supaul	Rajkiya Buniyad S. Basaha, Pipra	10060601605	BRSU00001728	41115152405	SBIN0014335	283936.00
37	Vaishali	NPS GURMISMA	10181413401	BRVA00000453	40671657191	SBIN0014293	283936.00
38	West Champaran	MS CHANPATIA BOYS, CHANPATIA	10010301707	BRWC00002831	40488033588	SBIN0006385	567872.00
	One Crore Forty one lakh Ninty Six Thousand Eight Hundred Only.					Total	14196800.00

01/07/2025

Naveen Kumar, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad
Campus, Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

पत्रांक : Equity/2025-26/93/..5998 दिनांक : 30/12/2025

सेवा में,

<u>जिला शिक्षा पदाधिकारी</u>
<u>जिला कार्यक्रम पदाधिकारी</u> (EE&SSA)
सभी जिले।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए Equity संभाग के अन्तर्गत Adolescent Programme for Girls कार्यक्रम के संचालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र शिक्षा के Equity संभाग के अंतर्गत अनुमोदित बजट के आलोक में प्रत्येक जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Adolescent Programme for Girls कार्यक्रम का संचालन करने हेतु निदेश है कि :–

- Equity कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मुख्य प्रशिक्षकों के माध्यम से जिला स्तर पर सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एक–एक शिक्षिका (महिला शिक्षिका के विद्यालय में पदस्थापित नही होने की स्थिति में हीं पुरूष शिक्षक) को Adolescent Programme for Girs कार्यक्रम के नोडल शिक्षक के रूप में नामित कर उनको जिला स्तर पर एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण वैसे प्रशिक्षण स्थल पर कराया जाए जहाँ स्मार्ट TV, ईंटरनेट इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो।
- जिले के प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में Adolescent Programme for Girls से संबंधित <u>**'सखी सहायता डेस्क**</u>' तैयार करवाया जाए जिसपर <u>**सखी सहायता डेस्क**</u> लिखा हुआ एक बैनर/फ्लैक्स उपलब्ध कराया जाए। जिला स्तर पर बैनर का प्रारूप तैयार करते हुये विद्यालय के नाम एवं प्रखंड की विवरणी के साथ प्रिंट करवाकर संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करवाया जाए। सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराये गये बैनर में एकरूपता का ध्यान रखा जाए।
- सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को किशोरी स्वास्थ्य से संबंधित 'प्राथमिक चिकित्सा किट' उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए नियमानुसार जिला स्तर पर किट हेतु आवश्यक सामग्री का चयन कर क्रय करते हुये संबंधित उक्त सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाए।
- विद्यालयों में कार्यक्रम के संचालन के उपरांत संबंधित विद्यालयों की बालिकाओं के बीच विषयानुरूप प्रतियोगिता (वाद–विवाद/चित्रांकन/निबंध/आशु–भाषण/भाषण) का आयोजन जिला स्तर पर कराया जाए।
- कार्यक्रम के प्रभावों/सक्सेस स्टोरी/बेस्ट प्रैक्टिस से संबंधित अभिलेखीकरण/दस्तावेजीकरण का कार्य जिला स्तर पर कराया जाए।
- **विद्यालय स्तर पर निम्नांकित गतिविधियों के संपादन हेतु निदेशित किया जाय–**
    - सभी संबंधित विद्यालयों में <u>**सखी सहायता डेस्क**</u> की स्थापना हेतु एक कक्ष/कक्ष का एक भाग चिन्हित कर आवश्यकतानुसार दीवारों की पुताई/दिवाल- लेखन/साज–सज्जा तथा टेबल–कुर्सी/अलमारी/एक छोटा फाइल कैबिनेट/बॉक्स इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत राशि विद्यालयों को निर्गत किया जाए एवं प्रधानाध्यापक को निदेशित किया जाय।
    - स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर विद्यालय स्तर पर किशोरियों में अनिमिया की जांच हेतु त्रैमासिक "T-3" (Test, Talk, Treatment) कैम्प का आयोजन करने हेतु सभी प्रधानाध्यापक को निदेशित किया जाय।
    - विद्यालय स्तर पर <u>**किशोरी स्वास्थ्य दिवस**</u> का आयोजन (हर माह की 8 तारीख को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम) करवाया जाए, जिसमें अतिथि (जिला स्तरीय पदाधिकारी/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी/जन प्रतिनिधि एवं अन्य) को आमंत्रित किया जा सकता है। आयोजन के दौरान विविध व्यवस्था (स्वागत, अल्पाहार, पुरस्कार, माइक इत्यादि) की जा सकती है।
    - प्रत्येक शनिवार को विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों का आयोजन अनिवार्य रूप से कराया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर होने वाली गतिविधियों का अभिलेखीकरण (फोटो सहित विस्तृत

Naveen Kumar, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad
Campus,Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

रूप में) कर जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले से कम से कम पाँच विद्यालयों में संचालन संबंधी अभिलेखीकरण की प्रति राज्य कार्यालय को भी उपलब्ध करवाया जाए।

2. **कार्यक्रम अन्तर्गत रू0 10,000/– (दस हजार) प्रति विद्यालय की दर अनुमोदित बजट का व्यय निम्नानुसार कराया जा सकता है:–**

प्रति विद्यालय व्यय होने वाली राशि का विवरण			
क्र०	गतिविधि का नाम	प्रति विद्यालय व्यय होने वाली राशि	व्यय का स्तर
1.	Adolescent Life Skill Package हैंड बुक की प्रतियों (प्रति विद्यालय 2–2) एवं का मुद्रण (A4 Size, Text on 110 GSM, Cover on 220 GSM, Both side colour printing and binding) + Documentation at State Level	850.00	राज्य स्तर
	कुल	850.00	
2.	जिला स्तर पर नोडल शिक्षकों का एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण	300.00	जिला स्तर
3.	'सखी सहायता डेस्क' या 'सुरक्षित स्थान' लिखा हुआ फ्लैक्स	300.00	जिला स्तर
4.	किशोरी स्वास्थ्य से संबंधित 'प्राथमिक चिकित्सा किट' की उपलब्धता	950.00	जिला स्तर
5.	बालिकाओं के बीच विषयानुरूप आयोजित होने वाली प्रतियोगिता पर व्यय (कार्यक्रम प्रारंभ होने के एक माह के उपरान्त)	500.00	जिला स्तर
6.	कार्यक्रम के प्रभावों/सक्सेस स्टोरी का अभिलेखीकरण (विद्यालय स्तर पर रू० 150 एवं जिला स्तर पर रू० 50)	100.00	जिला स्तर
	कुल	2150.00	
7.	विद्यालय स्तर पर सखी सहायता डेस्क' की स्थापना (चिन्हित कक्ष के दीवारों की पुताई, कक्ष का दिवाल–लेखन, साज–सज्जा, टेबल, कुर्सी, अलमारी, एक छोटा फाइल कैबिनेट/बॉक्स आवश्यकतानुसार)	5000.00	विद्यालय स्तर
8.	विद्यालय स्तर पर 'किशोरी स्वास्थ्य दिवस' का आयोजन (अतिथियों–प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, जन–प्रतिनिधि, संबंधित विषय विशेषज्ञ आदि) के स्वागत, माईक इत्यादि की व्यवस्था।	1000.00	विद्यालय स्तर
9.	स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर विद्यालय स्तर पर किशोरियों में अनिमिया की जांच हेतु "T-3" (Test, Talk, Treatment) कैम्प का आयोजन (स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा, कैम्प के दौरान अल्पाहार, पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाय)	1000.00	विद्यालय स्तर
	कुल	7000.00	
	सकल राशि	10,000.00	

उक्त के अलोक में निदेश है कि अपने जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एक–एक शिक्षक को Adolescent Programme for Girls के संचालन हेतु नोडल के रूप में प्रशिक्षित करते हुए कार्यक्रम का संचालन 15.01.2026 तक सुनिश्चित किया जाए तथा राशि व्यय के उपरांत व्यय प्रतिवेदन प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्ट कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचित किया जाय। कार्यक्रम के बेहतर संचालन एवं अभिलेखीकरण की जिम्मेवारी नोडल शिक्षक के साथ–साथ संबंधित विद्यालय के प्रधान, संबंधित जिले के संभाग प्रभारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE&SSA) की होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(नवीन कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

Naveen Kumar, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad
campus, Saidpur, Rajendra Nagar,
Patna-800004

पत्रांकः– MIS/SS/109/2025-26/ 104 दिनांक : 06/01/26

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिले, बिहार।

विषय : समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं भौतिक वित्तीय प्रगति को प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि कराने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक–2720 दिनांक 20.06.2025, पत्रांक 3881 दिनांक 21.08.2025, पत्रांक 3883 दिनांक 21.08.2025, पत्रांक 4078 दिनांक 01.09.2025, पत्रांक 4375 दिनांक 12.09.2025, पत्रांक 4520 दिनांक 22.09.2025, पत्रांक 4555 दिनांक 22.09.2025 एवं पत्रांक 5043 दिनांक 04.12.2025, ।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में स्वीकृत गतिविधियों के विद्यालय / प्रखंड / जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रसंगाधीन पत्रों (प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत निदेश दिए गए हैं। उक्त क्रम में जिलावार प्रबंध पोर्टल पर दिनांक 05.01.2026 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि से संबंधित गतिविधिवार विवरण अनुलग्नक 01 के रूप में संलग्न है।

प्रबंध पोर्टल पर गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट है कि अधिकांश जिलों में गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रगति काफी कम या शून्य है।

अतएव, निदेश दिया जाता है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में स्वीकृत गतिविधियों यथा– Support to BRC/CRC, RAA, Twining of school, Youth Eco Club, Science Math Lab, EBSB, Pre-Primary Activity etc के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन विद्यालय / प्रखंड / जिला स्तर पर कराते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को प्रबंध पोर्टल पर अपडेट कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

(नवीन कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी, प्रधानाध्यापकों के लिए वित्तीय खातों का रख–रखाव संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश (Guidelines)।

जब भी आप विद्यालय का प्रभार लें तो सबसे पहले आपका दायित्व यह होना चाहिए कि आप देख लें कि उक्त विद्यालय में कितने प्रकार के बैंक खाते खुले हुए हैं। इनमें कितनी राशि रखी हुई है और उस राशि से आप क्या काम कर सकते हैं।

1) यदि आप प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो सामान्यतः आपके बैंक में निम्न प्रकार के 03 खाते होंगेः–

(i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।

(ii) मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता।

(iii) बिहार सरकार का बैंक खाता।

नोटः–यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

2) यदि आप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो आपके विद्यालय में निम्न प्रकार से 05 खाते हो सकते हैंः–

(i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।

(ii) मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता।

(iii) बिहार सरकार का बैंक खाता।

(iv) विकास कोष हेतु बैंक खाता।

(v) छात्र कोष हेतु बैंक खाता।

नोटः–यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

3) किस खाते का संचालन किस प्रकार करना है और उस खाते की राशि से किस प्रकार का कार्य कराया जाना है, का विवरण इस तालिका में दिया हुआ है।

क्र0	**खाता का नाम**	**खाते में उपलब्ध राशि से क्या–क्या कार्य कराया जा सकता है।**	**खाते का संचालन किस प्रकार करना है।**
	1	**2**	**3**
1	**समग्र शिक्षा का बैंक खाता**	यह खाता दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में यथाः–प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय में होता है। इस खाते में 3 मुख्य मद होते हैंः– **(क) समग्र विद्यालय अनुदान** :– इसे Composite	इस खाते को Single Nodal Account (समग्र शिक्षा) कहा जाता है

		Grant के नाम से भी जाना जाता है। इस मद में अधिकतम राशि 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये की आती है। चूँकि राशि कम है, अतः इसे बहुत सावधानी से खर्च करना होता है। इस मद से आप कोई बडा निर्माण कार्य अथवा विद्यालय भवन की रंगाई–पुताई आदि नहीं करा पायेंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मद से केवल आप स्कूल के पठन–पाठन की सामग्री यथा–चॉक, बल्व, पंखा, डस्टर इत्यादि का भुगतान करें। साथ ही, शौचालय की सफाई प्रतिदिन कराने हेतु स्वीपर का भुगतान भी इस राशि से किया जाए। **(ख) इस खाते का दूसरा अंश निर्माण कार्य हैः**– इसमें आप भवन के निर्माण, भवन की मरम्मति, शौचालय निर्माण, शौचालय की मरम्मति, पेयजल, नल–जल की व्यवस्था अथवा नये चापाकल लगवाने अथवा इसके मरम्मति इत्यादि का काम करा सकते हैं। **(ग) विविध कार्यः**– उपरोक्त दोनों गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियां विद्यालय में होती हैं, जिसमें खेल–कूद, वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएँ एवं ऐसी रोचक गतिविधियाँ आप कर सकते हैं, जिससे छात्रों की रूचि तो बनी ही रहे, साथ ही उन्हें कुछ अच्छी बात सीखने को मिले। इन गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।	[SNA-समग्र शिक्षा] इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी और जिस भी व्यक्ति को आपको भुगतान करना है, उसके लिए तय राशि का Print Payment Advice (PPA) आपको बनाना होगा। अतः स्वाभाविक है कि इसके लिए आपके विद्यालय में कंप्यूटर/प्रिंटर होना आवश्यक है। यदि आप इस वित्तीय प्रणाली को स्वयं नहीं चला सकते हैं तो आपको एक कंप्यूटर जानकार को भी रखना पड़ सकता है। विभाग प्रयास में है कि प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर/प्रिंटर और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान किया जाए। जब तक ये सुविधाएँ नहीं उपलब्ध होती हैं, तब तक आप नजदीक के इंटरनेट कैफे में जाकर PPA बनवा सकते हैं या Block Resource Center (BRC) में जाकर ये PPA

			बनवा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय हेतु इंटरनेट कैफे में जाने पर इस पर होने वाले व्यय का भुगतान आप इसी खाते के Composite Grant अंश से कर सकते है। माध्यमिक विद्यालय इस खर्च का वहन विकास कोष से कर सकते हैं। **<u>संयुक्त हस्ताक्षर प्रणाली</u>** प्राथमिक विद्यालय के मामले में PPA पर हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव करेंगे। माध्यमिक विद्यालय में PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के कोई एक शिक्षक करेंगे।
2	**मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता**	यह खाता कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय में ही होता है। इस खाता में उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय में मध्याह्न भोजना की व्यवस्था की जानी है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आपको वर्ग 1 से 5 के लिए रुपये 5.45 (पाँच रुपये पैंतालीस पैसे), तथा वर्ग 6 से 8 के लिए 8.17 (आठ रुपय सतरह पैसे) प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से भुगतान करना है। उदाहरण स्वरूप यदि प्राथमिक विद्यालय में किसी तिथि को 67 छात्र उपस्थित हुए हैं तो उस तिथि को भोजन हेतु खर्च का इस प्रकार गणना करें:–	इस खाते का संचालन भी समग्र शिक्षा खाते के अनुसार ही होता है। इस खाते को Single Nodal Account (मध्याह्न भोजन योजना) कहा जाता है [SNA-मध्याह्न भोजन योजना]। इस खाते

		छात्र की संख्या X प्रति बच्चा दर = व्यय होने वाली राशि 67 X रुपये 5.45 = रुपये 365.15 अर्थात, उस दिन मध्याह्न भोजन का कुल खर्च रु0 365. 15 हुआ। पूरे महीने की गणना इसी प्रकार करें और तद्नुसार vendor को भुगतान करें।	का संचालन हेतु आप Block Resource Center (BRC) में जायें या नजदीक के इंटरनेट कैफे से सम्पर्क करें। किसी भी हालत में मध्याह्न भोजन योजना के PPA पर हस्ताक्षर करने से पहले आप बाएं तरफ में दी हुई गणना क अनुसार देख लें कि जितने छात्रों ने खाना खाया हैं, PPA भी उतने ही छात्रों के लिए बनाया गया है ! यह खाता भी समग्र शिक्षा की भाँति संचालित होगा और PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं सचिव का होगा।
3	**बिहार सरकार का बैंक खाता**	यह खाता प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय, दोनों में होता है। इस खाते में कभी–कभी ही राशि भेजी जाती है। प्रायः यह खाता निष्क्रिय रहता है। किन्तु इसे बंद करना उचित नहीं होगा। इससे राशि खर्च करने हेतु विभाग से समय–समय पर दिशानिर्देश अलग से दिया जायेगा।	इस खाते का संचालन परामपरागत तरीके से किया जायेगा अथवा Bank Advice के माध्यम से किया जाता है। इसके संचालन में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी संयुक्त हस्ताक्षर होगा। प्राथमिक विद्यालय के मामले में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं

			सचिव का होगा। माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं किसी एक शिक्षक का होगा।
4	**विकास कोष का बैंक खाता**	विकास कोष माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12 तक) में होता है। इस खाते से आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:– **(क) भवन का रख–रखाव इत्यादि।** विद्यालय भवन का रख–रखाव, रंग–रोगन, शौचालय का निर्माण, शौचालय का मरम्मति, शौचालय का रख–रखाव, पेयजल की सुविधा, बागवानी इत्यादि पर आप ये राशि खर्च कर सकते हैं। जब आप उपरोक्त संबंधी कोई काम करना चाहेंगे तो इसका estimate बनाना होगा ताकि ये पता चल सके कि उपरोक्त कार्य कराने के लिए कुल कितनी राशि लगेगी। आप estimate बनाने का काम BEP के कनीय अभियंता से करा सकते हैं। इस estimate का तकनीकी अनुमोदन BEP के सहायक अभियंता द्वारा दिया जायेगा। Estimate बनने के समय आप कनीय अभियंता को अनुरोध करें कि वे उतनी राशि का ही estimate बनायें जितनी राशि आपके विकास कोष (एवं छात्र कोष) में उपलब्ध है। **Estimate बन जाने के बाद की प्रक्रिया:**–यदि estimate 5 लाख रुपये तक का है तो कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति आप स्वयं दे सकते हैं। यह कार्य किस एजेंसी से किया जाना है, वह भी आप, स्वयं तय कर सकते हैं। आप चाहें तो यह काम BEP के माध्यम से भी करा सकते हैं। BEP के सहायक अभियंता एजेंसी तय करने के लिए सक्षम होंगे। यदि estimate 5 लाख रुपये से अधिक का है तो आपको इसका अनुमोदन विद्यालय प्रबंधन समिति से लेना होगा। इस हेतु आप पत्र द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु अध्यक्ष से अनुरोध करें। यदि 15 दिन में बैठक आयोजित होकर उक्त योजना का अनुमोदन नहीं मिलता है तो आप ऐसी स्थिति में इस योजना का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से सीधे ले सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ही यह तय करेंगे कि वे किस एजेंसी अथवा BEP अथवा राज्य सरकार के किस विभाग अथवा निगम से इस योजना को करायेंगे। जिला शिक्षा	इस खाते का संचालन भी परम्परागत तरीके से चेक बुक अथवा Bank Advice से किया जायेगा। चेक संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा। एक हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का होगा और दूसरा किसी भी अन्य शिक्षक का होगा।

		पदाधिकारी जिलाधिकारी के आदेश से जिले में उपलब्ध किसी अन्य कार्य विभाग से भी यह काम करा सकते हैं। **(ख)** विद्यालय के संचालन हेतु अन्य कार्यालय सामग्री, फर्नीचर, पंखा, बल्व, स्टेशनरी, अखबार, मैगजीन इत्यादि इस मद से क्रय की जा सकती है। **(ग)** यदि आपके विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कम्प्यूटर के शिक्षकों का अभाव है तो आप उन शिक्षकों को विभाग द्वारा तय मानदेय पर रखकर अध्यापन कार्य करा सकते हैं और उनका मानदेय का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। (घ) स्वीपर, रात्रि प्रहरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर का किराया, आधार मशीन का किराया, VC equipment का किराया इत्यादि का भुगतान आप विभाग द्वारा तय दर पर कर सकते हैं। **(ड़)** IT उपस्कर तथा आधार मशीन एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु एक या दो कम्प्यूटर ऑपरेटर भी इस कोष से रख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर आप बेल्ट्रॉन के दर पर अथवा विभाग द्वारा तय दर (दोनों में से जो कम हो, रख सकते हैं)। **(च)** इसके अतिरिक्त आप इस मद से अन्य किसी भी प्रकार का व्यय कर सकते हैं, जो स्कूल के संचालन में सहायता करे। जैसे, उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त आप स्कूल में जेनरेटर की भी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि विशेष आयोजन हो अथवा छात्रों की संख्या ज्यादा हो और कमरों की कमी हो तो आप टेंट, दरी, जेनरेटर आदि खरीद कर अथवा किराए पर यह व्यवस्था कर सकते हैं।	
5	**छात्र कोष का बैंक खाता**	आप इस कोष में वह सारे कार्य कर सकते हैं, जो विकास कोष से किया जा सकता है। आप किसी योजना की परिकल्पना विकास कोष एवं छात्र कोष में जमा राशि को मिलाकर भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विकास कोष में 3 लाख रुपये हैं और छात्र कोष मं 2 लाख रुपये हैं तो आप दोनों राशि को मिलाकर 5 लाख रुपये की कोई समेकित योजना अथवा मासिक भुगतान करने का काम कर सकते हैं।	–तथैव–

4) उपरोक्त तालिका एवं दिशानिर्देश के पीछे उद्देश्य यह है कि आपके विद्यालय में जो भी राशि पड़ी है, उसका इस्तेमाल हो। विकास कोष/छात्र कोष में लाखों रुपये जमा है, किन्तु कक्षाओं में बिजली का बल्व तक नहीं है। अतः स्पष्टतः यह प्रधानाध्यापक के स्तर पर निर्णय नहीं लेने की प्रवृत्ति का द्योतक है। आप प्रधानाध्यापकों से आशा की जाती है कि उक्त राशि

का व्यय स्कूल के सफल संचालन में करेंगे। ऐसी स्थिति में आप पूछ सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में यह तो अंकित कर दिया गया है कि किस खाते की राशि से क्या काम करना है, किन्तु उसकी प्रक्रिया नहीं दी गयी है, तो इस आशंका का समाधान भी इस प्रकार किया जाता है।

5) <u>सामग्री क्रय करना अथवा सिविल वर्क हेतु प्रक्रियाः–</u>

(क) यदि आप कोई सामग्री यथा–स्टेशनरी, कंप्यूटर, जेनरेटर या कोई भी कार्यालय उपस्कर खरीदना चाहते हैं तो रु0 50 हजार तक की सामग्री आप तुरंत "off the shelf" तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी दुकान में जाएं और रु0 50 हजार तक के सामान का क्रय कर लें। किन्तु इसकी Invoice/रसीद जरूर ले लें।

(ख) रु0 50 हजार से लेकर रु0 5 लाख तक की सामग्री/व्यय आप 3 कोटेशन प्राप्त करके कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको कोई बड़ा सामान खरीदना है तो आप बाजार में सवेक्षण कर 3 कोटेशन प्राप्त करें एवं जिसका सबसे कम दर है, उस दर पर उक्त सामान को खरीद सकते हैं। इस क्रय की भी Invoice/रसीद अवश्य रखें।

(ग) आप विद्यालय में छोटे–मोटे Civil कार्यों के लिए भी यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। यानी कि आपके विद्यालय में कोई Civil कार्य (निर्माण कार्य) या पोचारा कराना है या किसी कमरे/शौचालय का काम कराना चाहते हैं और यदि वह खर्च रु0 5 लाख से कम का ह तो आप कम–से–कम किन्हीं 3 संवेदकों से कोटेशन लेकर कम दर अंकित करने वाले संवेदक से कार्य करा सकते हैं। इसके लिए आपको विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सक्षम हैं।

रुपये 5 लाख से अधिक का यदि कोई कार्य है तो उसे आप विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष रखेंगे। यदि 15 दिनों के भीतर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो आप सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसका प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। रु0 5 लाख से अधिक काम कराने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करें और वही आपको बताएंगे कि काम किस एजेंसी से करायेंगे।

6) यह भी देखा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में तो विकास कोष/छात्र कोष में पर्याप्त राशि रहती है, किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में इस तरह की न तो कोई राशि होती है न ही इस तरह की कोई व्यवस्था। अतः उपरोक्त काम यदि प्राथमिक विद्यालय में कराना पड़ जाए तो इसमें यह समस्या आती है कि इसके लिए राशि कहां से आयेगी। इस संबंध में आपको भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का संदर्भ करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की हैसियत से आप अन्य प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में भी छात्र कोष एवं विकास कोष की राशि खर्च कर सकते हैं, जो प्राथमिक/मध्य विद्यालय आपके पोषक क्षेत्र (Feeder Area) में पड़ता है। Feeder Area, वह प्राथमिक/मध्य विद्यालय हाता है, जहां के बच्चे कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा मे दाखिला लेते हैं। आपको यदि छात्र कोष/विद्यालय कोष से प्राथमिक/मध्य विद्यालय का काम लेना है, तो इस कार्य का अनुमोदन आप विद्यालय प्रबंध समिति से ले लें।

7) उपरोक्त का अध्ययन करने के बाद आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि केवल 2 खाते ही ऐसे हैं यथाः–समग शिक्षा का बैंक खाता एवं मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता, जिनके संचालन के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत बनाया गया है। अतः आपको इसे समझना होगा और स्वयं चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। यदि आप स्वयं नहीं चला सकते हैं तो स्वयं तथा किसी शिक्षक को इंटरनेट कैफे भेजकर इसका संचालन करें। फिर भी बेहतर होगा कि आप SNA खाता स्वयं चलाना सीख लें। किसी भी हालत में इन खातों का संचालन निजी व्यक्ति/वेंडर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इन खातों के संचालन हेतु प्रक्रिया **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

8) इस दिशा निर्देश के निर्गत होने के पश्चात् इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निदेश/पत्र निरस्त समझे जायेंगे।

(के0के0 पाठक),
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक——————/ **पटना, दिनांक——————**

प्रतिलिपिः–सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, BEPC/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक, प्रशासन/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, SCERT/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक——————/ **पटना, दिनांक——————**

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–1

लोक वित्तीय प्रबंधक प्रणाली (PFMS) के तहत समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजना योजना के लिए व्यय की प्रक्रिया

1. नया भेन्डर/आपूर्तिकर्त्ता/सेवादाता का पंजीकरण करने की विधिः–

Step 1:- कम्प्यूटर/लैपटॉप/मोबाईल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है।

Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Portal https://pfms.nic.in को खोलना होगा।

Step 3:- सर्वप्रथम विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से Login किया जायेगा।

Step 4:- PFMS के Home Page पर Master Section को Click किया जायेगा।

Step 5:- Vendor Tab के अंतर्गत Add New को Click किया जायेगा।

Step 6:- Vendor का नाम, पता, Mobile., Bank Details भरा जायेगा, तत्पश्चात् Vendor Details को Save किया जायेगा। Save करने के पश्चात् Vendor का Creation सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा।

2. भुगतान आदेश तैयार करने की प्रक्रियाः–

क्रय किये जाने वाले सामग्री से संबंधित क्रयादेश तैयार किया जायेगा, जिसमें आपूत्तिकर्त्ता का नाम, बैंक खाता संख्या, IFS Code एवं राशि का उल्लेख एवं आदेश देने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं आदेश संख्या तथा तिथि अंकित किया जायेगा।

3. बैंक एडभाईस तैयार करने की विधिः–

मेकर के द्वारा किये जाने वाला कार्यः–

Step 1:- कम्प्यूटर/लैपटॉप/मोबाईल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है।

Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Portal https://pfms.nic.in को खोलना होगा।

Step 3:- विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से PFMS के Portal https://pfms.nic.in पर जाकर Login किया जायेगा।

Step 4:- Expenditure Section में जाकर Add New को Click किया जायेगा।

Step 5:- Scheme के कॉलम में **समग्र शिक्षा** के व्यय के लिए BR137 Samagra Shiksha 3667 एवं **मध्याह्न भोजन योजना** के लिए BR6-BR PRADHAN MANTRI POSHAN SHAKTI NIRMAN का चयन किया जायेगा।

Step 6:- तत्पश्चात् Vendor का Select करने के उपरान्त भुगतान से संबंधित आदेश एवं राशि को संगत (संबंधित) कॉलम में क्रयादेश संख्या एवं तिथि भरा जायेगा।

Step 7 :- इसके उपरांत PFMS Portal से उस बजट योजना के तहत् यथा **समग्र शिक्षा** एवं **मध्याह्न भोजन योजना** के बजटीय शीर्ष/गतिविधि/मद् का चयन करेंगे, उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा हेतु बजटीय शीर्ष/गतिविधि/मद् में राशि व्यय

किया जाना है, तो School Grant, असैनिक कार्य से संबंधित मद् (Toilet, Drinking water, Electrician, ACR, Ramp, Major Repair) इत्यादि। इसी प्रकार **मध्याह्न भोजन योजना** हेतु बजटीय शीर्ष -Cooking Cost/Egg/Seasonal Fruits का चयन किया जायेगा।

Step 8 :- पोर्टल के स्क्रीन पर अंकित Instrument Type में "E-Payment Using Print Advice" Select कर Add बटन को Click किया जायेगा।

Step 9 :- Narration for Passbook अंकित किया जायेगा।

Step 10 :- यदि भुगतान की जाने वाली राशि में से कोई कटौती किया जाना है, तो Deduction कॉलम में दिये गये विकल्पमें "Yes" का चयन किया जायेगा अन्यथा "No" का चयन किया जायेगा।

Step 11 :- उपर्युक्त प्रक्रियाओं के पश्चात् Send for Approval बटन को Click कर भुगतान हेतु Approver (Checker) को अग्रसारित किया जायेगा।

4. चेकर के द्वारा किये जाने वाला कार्य :–

Step 1 :- विद्यालय के Checker के द्वारा अपने User ID से PFMS के Portal http://pfms.nic.in पर Login किया जायेगा।

Step 2 :- Login के पश्चात् Checker के द्वारा Expenditure Section में जाकर Send For Approval के लिए भेजे गए Data को खोलकर भुगतान की जाने वाली राशि, बैंक खाता संख्या, बजट मद एवं राशि की उपलब्धता इत्यादि का मिलान करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही Data को Approve किया जायेगा। Data सही नहीं पाये जाने पर Reject बटन को Click किया जायेगा।

Step 3 :- Data Approve करने के पश्चात् Print Payment Advice (PPA) Generate हो जायेगा। तत्पश्चात् Advice को Print किया जायेगा।

Step 4 :- Print किये गए Print Payment Advice (PPA) परविद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के अधिकृत हस्ताक्षरित के द्वारा मोहर के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा, तत्पश्चात् हस्ताक्षरित बैंक एडभाईस को संबंधित बैंक शाखा को निर्धारित समय–सीमा यथा–10 दिनों के अंदर हस्तगत कराया जायेगा। इसके पश्चात् बैंक के द्वारा राशि संबंधित भेन्डर को भुगतान किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचना/निदेशः–प्रधानाध्यापक/सचिव के द्वारा हर हाल में PFMS Portal के Password की गोपनीयता बरकरार रखी जायेगी एवं किसी भी परिस्थिति में Password को किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा। साथ ही इसके दुरूपयोग होने पर जवाबदेही तय कर आवश्यक प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जायेगी।